The question was put and the motion was adopted.

SHRI P. PRABHAKAR REDDY: Sir, I introduce the Bill.

THE TOURISM PROMOTION BILL, 2002

SHRI P. PRABHAKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide for measures to promote tourism in the country.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI P. PRABHAKAR REDDY: Sir, I introduce the Bill.

THE DOMESTIC VIOLENCE (PREVENTION) BILL, 2001

श्रीमति सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं ;

'कि घरेलू हिंसा की बढ़ती हुई समस्या के निवारण और विशेषकर

ऐसी हिंसा के पीड़ितों को संरक्षण देने के लिए न्यायालयों को शक्ति प्रदान

करने तथा तत्संबंधी और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक

पर विचार किया जाए।'

उपसभाध्यक्ष महोदय, घर से लेकर बाहर तक, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त औरत के विरूध्द हिंसा तमाम पितृ सत्तात्मक समाजों की एक ऐसी क्रूर सच्चाई है जिससे कोई भी इन्कार नही कर सकता। तथाकथित सभ्य और जनतांत्रिक माल मूल्यों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी अपने सीने पर हाथ रख कर, दावे के साथ यह नही कह सकता कि वह औरतों को समानता के नज़रिए से देखता है या औरतों की वही इज्जत करता है, जिस इज्जत की अपेक्षा वह स्वंय अपने लिए करता है। महोदय, यही कारण है कि औरतों के विरूध्द हिंसा सर्वव्यापक है। वह किसी स्थान विशेष , किसी देश विशेष, किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष किसी समाज विशेष तक सीमित नही है। यह जितनी सर्व व्यापक है उतनी ही सर्व स्वीकृत भी है और इस सर्व स्वीकार्यता के पीछे वह मूल्य व्यवस्था हैट जिसे हम पितृ सत्तात्मक व्यवस्था कहते है। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने अपने उदय के साथ ही सब से पहले औरत को गुलाम बनाया और औरत की इस गुलामी के साथ ही निजी पूंजी के उदय ने आदमी को भी स्वतंत्र नही रखा। कहना न होगा कि मातृसत्तात्मक व्यवस्था का अवसान स्त्री की गुलामी के साथ ही स्वयं पुरूष को भी परतंत्र बना गया। इस प्रकार घर में स्त्री गुलाम और पुरूष मालिन बन गया और स्वयं समाज शोषक और शोसित दो भागों में बंट गया। इस पितृसत्तात्मक समाज ने औरत के हाथ से उत्पादन के तमाम अधिकार छीनकर उसे घर की चारदीवारी में कैद कर दिया और उस से उस की तमाम सृजनात्मक क्षमता को छीनकर उसे आदमी के काम आने वाली एक भोग की वस्तु के

रूप में परिणत कर दिया । पितृसत्तात्मक समाज ने उस के लिए एक ऐसी पूरी मूल्य व्यवस्था की संरचना कर दी जिस में देवी, दासी, कुल्टा, पतिव्रता, बेचारी, रक्षणीया, सुंदरी, कुरूपा, परित्यक्ता, रमणी और भार्या जैसे मिथक उस के लिए गढ़ दिए गए । जहां पुरूषो के लिए धर्म , अर्थ , काम और मोक्ष थे तो औरतों के लिए पतिव्रत धर्म ही स्त्री का परम कर्त्तव्य समझा गया और इस से गिरी हुई स्त्रियां पतिताएं और कुलटाएं कही गयी । इस के साथ ही स्त्रियों के लिए समाज में एक पूरे कारावास की संरचना कर दी गयी जिसे हम पति का घर कहते है । घर कैसा भी क्यों न हो, उस का मालिक भले ही पति हो या पति के रिश्तेदार हो, चाहे वह घर पति या पत्नी की संयुक्त कमाई से बनाया गया हो या फ़िर पत्नी की कमाई से, लेकिन घर का मालिक पति ही होगा और उस घर में जीना,मरना उस औरत की नियति बताई गई । स्त्री की अस्मिता, उस की सारी क्षमताएं, उस का सारा मानवीय सार, उस के मालिक यानी घर के मुखिया के खाते में अंतर्भुक्त कर दिया गया और स्वयं स्त्री भी इन पितृसत्तात्मक मूल्यों से बरी नही रह सकी । उपसभाध्यक्ष जी, सीमोन-द-बोउवार के शब्दो में स्त्री पैदा नही होती, स्त्री बनाई जाती है और राजेश जोशी के शब्दों में कहूं तो 'लड़की को जन्म देकर उदास है एक स्त्री लड़की को जन्म देकर डर से कांप रही है एक स्त्री इतनी जटिल बना दी गयी है उस की दास्तां कि स्त्री ही सब से ज्यादा क्रूर स्त्री के बारे में स्त्री ही पूछ रही है स्त्री से कि क्यों नही लायी स्त्री धन अपने साथ बहुत सामान्य लेकिन डरावना दृश्य है पुरुष की सत्ता का गुलामी के खूनी खेल में दर्शक दीर्घा में बैठा पुरूष मन ही मन मुसकरा रहा है । ' उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी घर की चारदीवारी के अंदर हर रोज स्त्री पर जुल्म और क्रूरता की दर्दनाक दास्तां लिखी जाती है । इन कहानियों का हर घर में अंत हो, घर घर बने न कि प्रवाड़ना या यंत्रण का निवास स्थान और इसलिए घरेलू हिंसा को रोकने के लिए मैं इस विधेयक को लाना चाहती हूं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, महिलाओं के खिलाफ़ घरेलू हिंसा की समस्या पर सारी दुनिया का ध्यान केन्द्रित करने के लिए 1975 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में महिलाओं का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था और उस में इस विषय पर ध्यान केन्द्रित किया गया था । इस के बाद 1976 से 1985 तक महिला दशक में इसी विषय पर चर्चाएं होती रही । दूसरे और तीसरे अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलनों में भी लगातार इस विषय पर चिंता जतायी जाती रही । वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के विरूध्द सभी तरह के भेदभावो के उन्मूलन संबंधी कन्वेंशन 'सीडो' की घोषणा की । इस के बाद 1985 में नैरोबी में फ़ॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी अनुमोदत हुई जिस में लिंग विशिष्ट हिंसा को गंभीर जुर्म माना गया था इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए विशेष कानूनी प्रावधान तथा राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने की बात कही गयी । उस के बाद 1993 में मानवाधिकारों संबंधी वियेना घोषणा से हम सभी परिचित है और तत्पश्चात ही संयुक्त राष्ट्र की महासभा में महिलाओं के विरूध्द हिंसा के उन्मूलन संबंधी घोषणा जारी की गयी और सर्वोपरि बीजिंग में चौथे अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉर एक्शन पारित किया गया जिस में इस विषय पर व्यापक चर्चा हुई । और सभी राज्यों को यह अपील की गई कि वे इस विषय पर अपने-अपने देशों में कानून बनाएं और हिंसा को रोकने का काम करें, लेकिन बीजिंग कांफ्रेन्स के पांच वर्षो बाद जब यूनिसेफ़ ने घरेलू हिंसा के बारे में अध्ययन किया तो यूनिसेफ़ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इन पांच वर्षो में घरेलू हिंसा को रोकने के संबंध में कोई भी खास प्रगति नही हुई है बल्कि घरेलू हिंसा सभी देशों में महिलाओं और बालिकाओं के हितों को नकारती हुई बदस्तूर जारी है । यूनिसेफ़ के इसी अध्ययन में यह बताया गया है कि इस

बीच 44 देशों में घरेलू हिंसा के संबंध में विशेष कानून बनाए गए है। इसमें 12 देश लातिन अमरीका के है । यूनिसेफ़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि घरेलू हिंसा मानव अधिकारों पर एक सबसे जघन्य कुठाराघात है। यह काम कोई अनजान व्यक्ति नही करता, बल्कि परिवार के लोग, जिन पर महिलाएं विश्वास करती है, जो उनके अपने आत्मीय रिश्तेदार होते है , जो निकट के रिश्तेदार होते है, वे लोग ही करते है। इस हिंसा के द्वारा औरतों और बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थय पर बुरा असर पड़ता है। यूनिसेफ़ ने इस पर भी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इस हिंसा के चलते औरतों की वित्तीय सुरक्षा तो खतरे में पड़ जाती है, उनके आत्म सम्मान , उनकी अस्मिता उनका स्वतंत्र विकास भी रूक जाता है। यूनिसेफ़ ने यहां तक अपने अध्ययन में कहा कि इस घरेलू हिंसा के चलते औरतें आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाती है । इसी आकलन के आधार पर यूनिसेफ़ ने औरतों के विरूध्द घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सारी दुनिया के देशों से उचित उपाय करने की मांग की है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में भी महिला आंदोलन लगातार इस पर अपनी चिंता जाहिर करता रहा है और सरकार से लगातार इस विषय में कानून बनाने की मांग करता रहा है। उसी की परिणति यह है कि इस बीच में एक सरकारी विधेयक हमारे बीच में आ चुका है। महोदय, हमारे देश में तो स्थिति बहुत ही भयवाह है । हर रोज अखबारों में स्त्रियों पर जुल्मों की जो कहानियां प्रकाशित होती है, उन्ही से पता चलता है कि घर की चारदीवारी के अंदर कितने रूपों में स्त्रियां प्रताड़ित होती है। हर स्त्री अपने जीवन के छोटे-छोटे अनुभवों से इन तमाम कहानियों की सच्चाई को अच्छी तरह समझ सकती है। शुध्द रूप में शारीरिक पिटाई से लेकर भावनात्मक यौन शोषण करना, हमेशा एक आंतक के परिवेश में रखना,भोजन और जीने की न्यूनतम जरूरतों तक से वंचित करना और स्त्रियों को सताने के लिए बच्चों तक को लेकर ब्लैकमेल करना, ये सब ऐसी चीज़े है,जिन्हें आज अगर घर-घर की कहानी कहा जाए तो अतिश्योक्ति नही होगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कवियत्री एलीजा विलकिसम ने औरतों की पीड़ा को इन शब्दों में व्यक्त किया है -

Poor *wives are made to*
honour and obey,
must yield into a husband's
lordly sway.
Whether you live in peace,
or horried strife,
you must stay with him, aye,
and that for life.
If he proves kind,
then happy you will be,
if other ways - Ohl
dreadful; misery.

उपसभाध्यक्ष महोदय, कैफ़ी आज़मी के शब्दों में कहूं तो –

गोशे-गोशे में सुलगती है चिंता तेरे लिए
फ़र्ज का भेष बदलती कज़ा अदा तेरे लिए
कहर है तेरी हर इक नर्म अदा तेरे लिए
जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए।

महोदय, हमारे देश में महिलाओं के हितों और उनकी सुरक्षा के लिए कई कानून बने हुए हैं और यह कहना बहुत आसान है कि स्त्रियां अपने पर जुल्म के प्रतिकार के लिए क्यों नही । लेकिन , अदालत का रास्ता भी कितना यंत्रणादायी होता है और खासतौर पर स्त्रियों के प्रति कितने भयंकर पूर्वाग्रहो से भरा होता है, सर्वोपरि कितना खर्चीला होता है कि कोई भी स्त्री आसानी से वहां जाने की कल्पना भी नही कर सकती है । अक्सर स्त्रियों को समाज मे जीने का बिना कोई सहारा दिए हुए पतियों द्वारा त्याग दिया जाता है । हमारे समाज में बहु विवाह कानून अपराध होने के बावजूद पुरूष बेखौफ़ दूसरी पत्नी रख लेता है, विवाहेतर संबंधो को तो आज भी पुरूषों का जन्मसिध्द अधिकार माना जाता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सारे तथ्य इस बात के गवाह है कि हमारे देश में स्त्रियों के पास अपनी संपत्ति बोलकर कुछ नही है। स्त्री के पास जो कुछ भी होता है या तो उसके पति का होता है या ससुराल वालों का होता है । इसलिए एंगेल्स ने अपनी प्रसिध्द पुस्तक 'परिवार, निजी सम्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति' में परिवार मे पूंजीवादी ढ़ांचे की व्यवस्था करते हुए कहा है कि 'घर के अंदर स्त्री सर्वहारा और पति बुर्जवा होता है । ससुराल में शादीशुदा औरतों की अधिकार विहीनता के साथ ही वास्तविकता यह है कि अपने पिता के परिवार में भी बेटी के अधिकार नही के बराबर होते है। एक बार विवाह हो जाने पर बेटी को पराई समझा जाता है। जिस घर में डोली गई, वहीं से अर्थी उठेगी, यह धारणा इतनी बध्दमूल है कि पति कितने ही जुल्म क्यों न करे, ससुराल के घर को त्यागने की कल्पना भी औरत कर नही पाती है । अक्सर माता-पिता की भी यही कोशिश होती है कि स्त्री तमाम कष्ट सहकर भी ससुराल में अपनी अंतिम सांसे ले। इसके अलावा पति की मृत्यु हो जाने पर हमारे समाज में विधवाओं की जो कारूणिक स्थिति है, मैं समझती हूं कि इससे हम और आप सभी परिचित है। सदियों से चले आ रहें इन जुल्मों में आज भी ज्यादा परिवर्तन नही हुए है। विधवा स्त्री परिवार की सबसे अधिक अधिकार विहीन स्त्री होती है। एक मनुष्य के रूप में जीने के तमाम अधिकारों से उसे वंचित कर दिया जाता है। विधवा के बारे में हमारे अनेक शास्त्रों में जो तमाम कटुक्तियां की गई है , वे आज भी हमारे घर की चारदीवारी के अंदर का सच है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इस आधुनिक जगत की और भी कई जटिल समस्याएं है। इनमें दहेज तो एक सबसे बड़ी समस्या है ही। ऐसे भी अनेक मामले सामने आए है जब विवाह टूट जाने पर पुरूष उसे नकारने की कोशिश करता है , विवाह हुआ ही नही था, यह साबित करने की कोशिश करता है और बहुधा हम देखते है कि अदालतों में बहुत से तकनीकी कारणों की वजह से पुरूष सही साबित हो जाता है और स्त्री गलत करार दी जाती है।

आज के जमाने में हर व्यक्ति विभिन्न प्रकार के तनावों से जूझ रहा है। जीवन में अनिश्चयता है , अपने काम के स्थल पर वह प्रताड़ित होता है और जीवन की यह अनिश्चयता ही

उसे घर में स्त्री पर जुल्म ढ़ाने के लिए बाध्य करती है । वह अपना गुस्सा अपने घरअ में जाकर अपनी पत्नी पर निकालता है । मज़दूरों के जीवन में आज जो निराशा है, वह निराशा भी उनकी पत्नियों पर उनकी पिटाई के रूप में फ़ूटती है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार विवाहिता स्त्री पर बलात्कार भी एक ऎसा मसला है जो जीवन की एक क्रूर सच्चाई है और इस सच्चाई को भारतीय स्त्री हर रोज़ मौन होकर स्वीकार करती है । महिला संगठनों के सामने ऎसे अनेक मामलें आते हैं जब औरतें अपने ही पतियों द्वारा बरसों से इस प्रकार के जुल्मों का शिकार बनती है । इधर के वर्षो में यौन-हिंसा में जो वृध्दि हुई है, उसके पीछे वैश्यवीकरण के सांस्कृतिक प्रदूषण का प्रभाव भी कम नही है । इसकी मार भी सबसे ज्यादा उन औरतों पर ही पड़ती है जो घरों के अंदर है । राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार दुष्कर्म के मामलों में 85 प्रतिशत मामले सगे-संबंधियों द्वारा किए गए अपराधों के मामले होते हैं । यही वजह है कि अब औरत का घर वास्तव में उसका घर रहे न कि उसका प्रताड़ना-स्थल, इसके लिए सरकार की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है । अगर घरों की निजता, उनकी प्राइवेसी, औरत की यंत्रणा का कारण बनती है तो मैं समझती हूं कि कभी-कभी यह जरूरी भी हो जाता है कि इस निजता को तोड़ा जाए, घरों के वास्तविक यथार्थ को बाहर किया जाए, सार्वजनिक किया जाए और हमारे घर अगर ऎसे घर है कि जहां कोई खिड़की नही है तो उस घर के अंदर हमें खिड़की खोलने की व्यवस्था भी करनी चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ समाज की सबसे बड़ी गारंटी होता है । इसीलिए परिवार की सच्चाई से आंख चुराकर चलने का कोई कारण मुझे नज़र नही आता और यही कारण भी है जिसके चलते घरेलू हिंसा को रोकने के कानूनी प्रावधान को आज सारी दुनिया के स्तर पर महसूस किया जा रहा है । खुद इस सरकार ने भी इस आशय से एक विधेयक तैयार किया है जो संसद की स्थाई समिति के पास विचारधिन है । लेकिन हर स्थिति में किसी भी कानून की सफ़लता इस बात पर निर्भर करती है कि उस कानून के पीछे का जो मूल उद्देश्य है उस मूल उद्देश्य के पीछे सच्चाई कितनी है, उस उद्देश्य में सफ़ाई कितनी है । उपसभाध्यक्ष महोदय, आज सारी दुनियां के पैमाने पर इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि औरतों पर घरेलू हिंसा औरतों के मानवाधिकारो का हनन है और इसी मानदंड पर घरेलू हिंसा संबंधी तमाम प्रश्नों पर विचार किया जाना चाहिए । कानून में घरेलू हिंसा से क्या तात्पर्य है यह स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, घर पर पति के साथ पत्नी का कितना अधिकार है यह भी स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए । इसके अलावा औरतों को हिंसा से बचाने के लिए किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए, हिंसा से पीड़ित जो औरत है उसको राहत देने के लिए कैसी व्यवस्था की जानी चाहिए, अदालती कार्यवाइयां सरल हों, सीधी हों और कानून पर जो अमल करने वाले लोग है वह हमारे संविधान में लिखित उद्देश्यों के प्रति इमानदार हों और इसके साथ ही घरेलू हिंसा को रोकने के लिए जो अन्य गैर सरकारी संगठन है तथा जो व्यक्ति है तथा हमारे देश में महिलाओं के अधिकारों के लिए जो महिला आंदोलन काम कर रहे है उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए उनकी भूमिका को भी कानून में यथोचित स्थान दिया जाना चाहिए । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार द्वारा तैयार किए गए घरेलू हिंसा संबंधी विधेयक को देखा है और मैं समझती हूं कि मंत्री महोदया भी उससे अच्छी तरह परिचित होंगी, उसकी खामियां जो महिला संगठनों ने उठाई है उसकी तरफ़ भी ध्यान दिया होगा । जब मैं इन तमाम मापदंडो पर इस सरकारी विधेयक को देखती हूं तो मुझे वह आधा अधूरा और औरतों के विरूध्द दिखाई पड़ता

3.00 P.M.

है । जब यह विधेयक पेश किया जा रहा था उसी समय हमने इसका तीव्र विरोध किया था और हमने यह कहा था कि यह विधेयक घरेलू हिंसा से उत्पीड़ित महोलाओं के हितों के साधने के बजाए उत्पीड़कों के हाथ का खिलौना बन जाएगा । उपसभाध्यक्ष महोदय, उस विधेयक में घरेलू हिंसा को जिस तरह से परिभाषित किया गया है उसमें उसी पति को घरेलू हिंसा का अपराधी माना जाएगा जो आदतन हिंसक हो और मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगी कि वह इस बात को समझेंगी, इस सच्चाई को समझेंगी और संवेदनशीलता के साथ इस पर विचार करेंगी कि यह कहां तक उचित है कि अगर यह प्रमाणित नही हो जाता कि औरत पर हमला करने वाला आदमी आदतन ऎसा करते है तब तक उसे हिंसा नही करार देंगे । घरेलू हिंसा के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस प्रकार के कानून का सुझाव दिया है उसके भी यह बिल्कुल विपरीत है । भारत सरकार सीडो की हस्ताक्षर कर्ता है । सीडो में औरतों के विरूध्द हिंसा को बहुत ही साफ़ शब्दों में परिभाषित किया गया है । लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकारी विधेयक में इसकी पूरी तरह से अवहेलना कर दी गई है । सरकारी विधेयक में घरेलू हिंसा को परिभाषित करने की जिम्मेदारी भी जजों पर छोड़ दी गई है । यह जज की मरजी पर होगा कि वह किसे घरेलू हिंसा माने और किसे घरेलू हिंसा न माने । इसी प्रकार सरकारी विधेयक में अनेक अस्पष्टताएं है जिसकी वजह से वह उत्पीड़ित स्त्री के बजाए उत्पीड़क के बचने का रास्ता ही मुहैया करता है । मसलन इस विधेयक की धारा 4(2) में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी या दूसरी की सम्पत्ति को बचाने के लिए खुद की रक्षा के लिए हिंसा करता है तो उसके खिलाफ़ कोई कार्यवाही नही की जाएगी । इस प्रकार हमलावर पुरूष को हमेशा अपने बचाव का एक रास्ता दे दिया गया है । उपसभध्यक्ष महोदय, मैं समझ रही हूं कि अगर आप भी इस धारा को देखेंगे तो स्वयं समझ जाएंगे कि इसका वास्तविकता से क्या संबंध है और यह हिंसा को किस तरह दूर करेगा । वह हमेशा पत्नी पर यह आरोप लगा सकता है कि वह उसकी सम्पत्ति पर हाथ साफ़ कर रही थी और इसलिए उसकी पिटाई की गई । इसी प्रकार सरकारी विधेयक में एक प्रोटेक्शन आफ़िसर की नियुक्ति , उसके कर्त्तव्यों और अधिकारों के बारे में कुछ प्रावधान है । प्रोटेक्शन आफ़िसर को इतने ज्यादा अधिकार दिए गए है कि हमेशा उसके दुरूपयोगस की संभावना बनी रहती है । उसे घरेलू हिंसा से शिकार महिला और अदालत के बीच में मध्यस्थ का स्थान दिया गया है जो प्रताड़ित महिला की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए मामले के निबटारे की भी कोशिश कर सकता है और मैं समझती हूं कि हमारे यहां इस तरह के प्रोटेक्शन आफ़िसर्स महिलाओं के प्रति किस तरह से पूर्वाग्रही रहते है तथा उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि किसी प्रकार समझा बुझाकर उसे वापिस अपने उसी घर में भेज दिया जाए । अगर इस तरह की हमारी अवधारणा रहेगी, इस तरह के हम कानून लेकर आयेंगे , तो मैं समझती हूं कि यह महिलाओं के विरूध्द हिंसा को कतई रोक नही पायेंगे । उपसभाध्यक्ष महोदय, इससे इस बात की भी आशंका बनी रहेगी कि ये अधिकारी महिला को वापस उसी घर में जाने के लिए मजबूर करेंगे । इस प्रकार की नियुक्ति से नौकरशाही का दबदबा बढ़ेगा और कानून की कार्यवाही भी विलम्बित होगी ।

इसके अलावा इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेक्शन आफ़ीसर्स की नियुक्तियां व्यावहारिक भी दिखाई नही पड़ती । सरकारी विधेयक की इन तमाम कमजोरियों को देखते हुए मैंने यह निजी विधेयक इस सदन के समक्ष विचारर्थ प्रस्तुत किया है । इसमें इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि हिंसा की शिकार महिला को तत्काल राहत और सुरक्षा मिल सकें । इसी प्रकार मैंने स्वयं

सेवी संगठनों प्रतिष्ठित महिला संगठनों की भूमिका को भी घरेलू हिंसा को रोकने के मामले में कानूनी स्वीकृति देने की बात की है । इन्ही तमाम पक्षों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में मैंने घरेलू हिंसा को संयुक्त राष्ट्र संघ के माडल विधेयक के अनुरूप परिभाषित किया है । इस विधेयक के लक्ष्य और दिशा को भी स्पष्ट रखने तथा इसको समझने में किसी प्रकार की अड़चन न रहे, इस बात की मैंने पूरी कोशिश की है । मेरा मानना है कि अगर यह विधेयक पारित होता है तो इससे भारत में महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा को हम रोकने में कुछ हद तक आगे बढ़ सकेंगे और पितृ सत्तात्मक व्यवस्था की जो मजबूत बुनियाद है, उस मजबूत बुनियाद पर एक करारी चोट कर सकेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह विधेयक इस सदन के विचारार्थ प्रस्तुत कर रही हूं । धन्यवाद ।

श्री बालकवि बैरागी (**मध्य प्रदेश**) . धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय । मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आदरणीय श्रीमती सरला माहेश्वरी के इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मैं अपनी बात शुरू करूं, उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं , आप भी जानते है और सरला जी भी जानती है और मैं भी जानता हूं कि अंततः सरकार की ओर से इस विधेयक का उत्तर क्या आना है । यह सौभाग्य की बात है कि उत्तर देने के लिए यहां पर जो हमारी मंत्री महोदया विराजित है, वह स्वयं एक महिला है, संभ्रांत और भद्र महिला है, कुलीन महिला है । जब वह खड़े होकर इस बात को कहेंगी 'चूंकि सरकार एक व्यापक बिल के साथ इस पर विचार कर रही है , इसलिए सरला से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वे इसे वापस ले लें तो बड़ी कृपा होगी । ' मैं उम्मीद करता हूं कि आज रीता जी की तरफ़ से इस तरह का वक्तव्य नही आना चाहिए और यदि आता है तो यह उनकी लाचारी होगी, विवशता होगी । सरला जी भी मेरी इस बात से सहमत हो सकती है । माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जो कागज़-पत्र हमारे सामने है, वह इस विधेयक के उद्देश्यों के बारे में कहते हुए सबसे अंत में जो टिप्पणी दी गई है, सबसे अंतिम पैराग्राफ़ में उद्देश्य और कारणों का कथन । सरला जी लिखती है कि यह 'जरूरी हो जाता है कि एक स्वतंत्र, जनतांत्रिक और न्यायसम्मत समाज के विकास हेतू महिलाओं के प्रति एक तरह से ऎसी संस्थागत हिंसा के खिलाफ़ विशेष कानून बनाकर इस हिंसा को समाप्त किया जाए । अतः यह विधेयक प्रस्तुत है' । इन तीन पंक्तियों को एक साथ पढ़ने से ही हम समझ जाते है कि बात कितनी गहरी है और विधेयक के लिए प्रस्तावना देने वाली हमारी बहन क्या कहना चाहती है । यहां हम बहस कर रहे है । एक लम्बा इतिहास है महिलाओं के उत्पीड़न का । वैसे भारत वर्ष में इस श्लोक को बार-बार उध्द्त किया जाता है,

'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते , रमंते तत्र देवता;'

'जहां नारी की पूजा होती है वहां पर देवता रमण करते है । ' मैं समझता हूं कि जिसने भी इस ऋचा का निर्माण किया होगा, उन्होंने अपने आप एक लकीर खींच दी कि उन्होंने पुरूष को देवता बना दिया । ...(**व्यवधान**)... आधा पढ़ा ही नही जाता है और उसके आधे का हम लोग दुरूपयोग करते आ रहे है । हम पुरूष सत्तात्मक समाज की बात करते है जबकि भारत में दोनों सत्तात्मक समाज है । हमारे यहां पुरूष सत्तात्मक भी है और अगर हम उत्तर पूर्व में जाएं तो मातृ सत्तातमक समाज भी है । जिस तरह से हमारे यहां पिता का नाम लिखवाना होता है, उसी तरह से उस क्षेत्र में मां का नाम लिखवाना आवश्यक हो जाता है । यह एक कहावत नही है, यह एक सत्य है । उपसभाध्यक्ष महोदय, आप सब जानते है और इसको यदि विनोद में नही लिया जाए तो यह बहुत

गंभीर बात है । मां एक सत्य है और पिता एक विश्वास है । इसको विनोद में नही लिया जाए और गम्मभीरता से इस पर विचार किया जाए । क्योंकि मां सत्य है । वह जानती है और दुनिया जानती है कि उसके गर्भ से शिशु पैदा हुआ है । इसी तरह यह भी सच है कि पिता विश्वास है । अगर मां साफ़ मना कर दे कि यह तेरा पिता नही है तो बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है ।

श्री मनोहर कांत ध्यानी . मां श्रध्दा है, पिता विश्वास है । बात वही है जो आप बोल रहे हैं लेकिन मां श्रध्दा है ।

श्री बालकवि बैरागी . मैं कह रहा हूं कि मां सत्य है । श्रध्दा कहकर आप फ़िर उसे दोयम कर रहे है । मुझे क्षमा कीजिएगा । सत्य से ऊपर श्रध्दा नही है, मैं आपसे बहस नही करना चाहता ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) . आपको अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा ।

श्री बालकवि बैरागी . सत्य सर्वोपरि है और इस संसार का सबसे बड़ा सत्य मां है क्योंकि वही गर्भ को धारण करती है । पिता तो विश्वास है । अगर मां सिर्फ़ इतना भर कह दे कि 'बेटा । यह तेरा पिता नही है तो पिता की जो स्थिति होगी, दुनिया इस सारी चीज़ को जानती है ।' मैं कोई लम्बी चौड़ी बहस यहां पर नही करना चाहता लेकिन सत्य और विश्वास के बीच में जो हिंसा की लकीर खींची, उस पर सरला जी ने बहुत महत्वपूर्ण विधेयक आपके सामने रखा है । महोदय, अभी-अभी इन्हीं दिनों की, 15 दिन के भीतर की दो घटनाएं अगर आप समझ लेंगे, सुन लेंगे और आप लोगो ने पढ़ी भी होगी – हम सब यहां पढ़े-लिखे लोग बैठे है । इस सदन को सौभाग्य है कि कोई अनपढ़ नही है । सौभाग्य है इस सदन का कि सब लोग बौध्दिक स्तरों को छूने वाले लोग है । सब लोग ऐसे सदस्य है जिनकी बात को देश गंभीरता के साथ सुनता है और समझने की कोशिश करता है । अभी आपने पढ़ा होगा, मैं प्रदेशों के नाम लेकर वहां की सरकारों पर उंगली नही उठाना चाहता और मुख्य मंत्रियों के नाम लेकर उनको परेशान करने की कोशिश नही करना चाहता लेकिन कहानियां सत्य है । अभी अभी एक घटना घटी है । एक बहन अपने पति या ससुर से पूछे बगैर किसी पड़ोसी के साथ एक तीर्थ यात्रा पर चली गयी । 11-12 दिन के बाद जब वह वापिस लौटी तो उस बहन के साथ जो सलूक उसके रिश्तेदारों ने, उसके पति ने और उसके ससुर ने किया, वह सलूक कंपा देने वाला है । सलूक यह किया गया कि 'तू बगैर पूछे गयी है, तू तीर्थ यात्रा पर गयी है, अगर तू पवित्र लौटी है तो हम तेरे हाथ पर दहकते हुए लोहे की छड़े रखेंगे और अगर तेरे हाथ नही जलेंगे तो हम मानेंगे कि तू सती है और पतिव्रता है । अगर तेरे हाथ जल जाएंगे तो हम समझ लेंगे कि तू कुलटा है ।' यह अभी की बात है, दस दिन भी नही हुए है । बहुत रोमांचकारी है । अंततः उस महिला के चीखने चिल्लाने के बावजूद उसके दोनों हाथो पर उन्होने नीचे पीपल के पत्ते रखे और उसके ऊपर गरम गरम लोहे की सलाखें रखी । जैसा कि होता है, अग्नि का नियम है कि वह जलती है । उस बहन के दोनो हाथ जले हुए है और आज भी वह उपचार करा रही है और पूरी निर्लज्जता के साथ उसके परिवार ने कहा कि 'चाहे जो हो जाए। वह वापिस हमारे घर में नही आ सकती ।' यदि आपने कल के अखबार देखें हों तो आपको पता चला होगा – मैं फ़िर किसी भी प्रदेश का नाम नही लेना चाहता लेकिन यह आचरण की दुराचरण की, निर्ममता की, क्रूरता की पराकाष्ठा है कि एक महिला पर संदेह होने पर उसके साथ पहले पांच लोगो ने बलात्कार किया और फ़िर उसको निर्वस्त्र करके सारे शहर में घुमाया गया और कहा गया कि अब तू गांव से निकल जा ।

ऎसे प्रकरण जब सामने आते है तो हमें रह रहकर विचार आता है कि हम आखिर क्या है, हम कहां है ? नारी का हम कितना सम्मान करते है और कहते है कि हमारे यहां धन की देवी लक्ष्मी है, विधा की देवी सरस्वती है, रक्षा की देवी दुर्गा है । कुल मिकाकर हम क्या करना चाहते है ? मैं कहना चाहता हूं कि नारी ईश्वर की कोमलतम सृष्टि है, कोमलतम सर्जना है । उससे ज्यादा कोमल ईश्वर ने कोई चीज़ नही बनायी है क्योंकि उसको वात्सल्य और ममता दोनों दी है । उसको मातृत्व दिया है । पुरूष को यह सम्पदा नही दी है । महोदय । आप भी पुरूष है, मैं भी पुरूष हूं लेकिन ईश्वर ने इस सम्पदा से आपको और हमें वंचित रखा है । हमारे पास पितृत्व है लेकिन मातृत्व नही है और आप सब जानते है, दुनिया जानती है कि ' ईश्वर सशरीर सबके साथ रहना चाहता था किन्तु ऎसा कर नही सका इसलिए उसने मां बना दी । ' मां ईश्वर का प्रतिरूप है और हम उसी के साथ सबसे ज्यादा दुराचार करते है । मैं यू.एन.ओ. की बात या देश के कानूनों कि बात नही करना चाहता लेकिन माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हम स्वयं किस तरह का आचरण करते' है , इन सारी बातों को सोचना पड़ेगा । महोदय, मैंने मेरी मां की उस पीड़ा को देखा है । खुद मैं भुक्त भोगी हूं, मैं गवाह हूं कि जब मेरे पिता गुस्से में आकर मेरी मां को मुझ सहित घर से निकाल देते थे तो पता नही हम लोगो को कहां कहां रात गुजारनी पड़ती थी और पता नही किस किस तरह से हमें वे दिन गुजारने पड़ते थे । मैं स्वयं उसका सजा याफ़्ता पुरूष आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूं । हम लोगो ने कितना दुराचार किया है, कितना अन्याय हम लोग उन पर करते है । इस पर हमें सोचना पडेगा विचार करना पड़ेगा और दुराचार भी तरह तरह के करते हैं मुझे इन बहना से या जितनी भी हमारी सदस्य बहनें यहां बैठी है, चाहे वे मंत्री हो या सामान्य सदस्या हो, ये स्वयं भी कितनी खुद के खिलाफ़ है, कभी आप इस पर विचार करें । ये स्वयं कितनी अपनी दुश्मन है, यह भी देखें । अगर हमारे सामने कोई बहन शादी होने के बाद आ जाए और कहे कि मुझे आशीर्वाद दीजिए तो हमारे यहां प्रचलित आशीर्वाद है और हमें कहना पड़ता है पुत्रवती भव' । मैं कहना चाहता हूं कि क्यों नही कहा जाता 'पुत्रीवती भव' ? यदि हम कह दें 'पुत्रवती भव' तो सारे घर के लोग नाराज़ हो जाते है । वह खुद भी चाहती है कि मेरे यहां पुत्र हो, पुत्री न हो । दूसरी चीज़ यह कि वे स्वयं की विरोधी कितनी है ? हमारे यहां एक कहावत बन गई है, भारत में आशीर्वाद बनता चला जा रहा है कि 'अखंड सौभात्यवती भव' । मुझे आश्चर्य होता है कि 'अखंड सौभाग्यवती भव' का मतलब क्या हुआ ? मतलब यह हुआ कि तेरे पति से पहले तू मर जाए , तेरा पति बाद में मरे । सीधी सी बात है यह, यानी हम उसकी मृत्यु की कामना पहले से करने लगते है और यदि हम यह आशीर्वाद न दें तो वह नाराज़ हो जाती है कि आपने मेरे सुहाग की कामना नही की ।

महोदय, मंगलसूत्र महिला के गले में डाला गया, पुरूष के पास कोई साधन नही है जिससे वह सिध्द कर सके की मैं भी एक ठीक-ठाक पति हूं, मैं भी ठीक-ठाक आचरण करने वाला हूं । व्रत-उपवास सारे महिलाओं को दिए गए, पतियों के पास कुछ नही । स्त्री बेचारी आज भी सुहाग का व्रत करती है कहती है मेरे सुहाग का व्रत है और हम पतियों से पूछते हैं कि तुम काहे का व्रत करते हो तो बोले कि हम तो फ़िट रहें, इसका व्रत करतें है । बहुत आश्चर्य की बातें होती है, विनोद किया जा सकता है लेकिन इन सारी बातों पर गंभीरता के साथ विचार किया जाना चाहिए । उनके साथ जो क्रूरता होती है, जो हिंसा होती है, अभी मैंने विदेश के बारे में पढ़ा, विदेशी भी इससे अछूते नही रहे है, वे हमसे एक कदम आगे है । मैंने पढ़ा कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की मध्यमा अंगुली को दांत से काटकर तोड़ दिया और जब उसका इलाज नही हो पाया हो उसको सज़ा हो गई । यह हाल ही की बात है । उससे जब पूछा गया कि तुमने ऎसा

क्यों किया तो वह बोला कि यह मेरी माशूका है और मुझसे बात ही नही करती । माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सब जगह ऐसा नही है लेकिन भारतवर्ष में इस कानून की आवश्यकता है । इससे ज्यादा सख्त कानून की आवश्यकता है । जितना प्रस्ताव सरला बहन ने किया है, उससे ज्यादा सख्त कानून की आवश्यकता है और यदि हम सख्त कानून नही बनाएंगे तो यह हिंसा अभी घरेलू है । सामाजिक भी होती चली जा रही है, पता नही किस-किस तरह से हम मां-बहनों को सज़ाएं देते चले आ रहे है । पता नही हमने क्या-क्या उसके तौर-तरीके निकाल रखे है लेकिन अधिक से अधिक हमें सख्त कानून बनाने चाहिए, बनाने पड़ेगे । इसका मूल कारण क्या है ? यदि हम इसके मूल में जाएं , जैसा सरला जी ने अपने वक्तव्य में कहा है,मैं उसको क्वोट नही करना चाहता लेकिन मूल कारण क्या है ? हमारे यहां भारतवर्ष में सबसे अधिक दुर्दशा किसी की होती है तो वह हिंदु विधवा की होती है । मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, जिस देश में, जिस समाज में, जिस धर्म में, जिस वर्ग में एक विधवा को अपशकुन माना जाए, वह कहीं सामने न आ जाए, सामने आएगी तो अपशकुन हो जाएगा, इस प्रकार की स्थिति है । इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, कम से कम दो धर्म हमारे पास ऐसे है, दो मान्यताएं ऐसी है हमारी जानकारी में जिनसे हमें सीखना पड़ेगा और उन दोनों धर्मो का नाम मैं लेना चाहता हूं बहुत सम्मान के साथ । हमें सिखों से सीखना चाहिए और इस्लाम से सीखना चाहिए । उन्होंने अपनी विधवाओं को समाज के भरोसे नही छोड़ा है । उन्होंने अपनी विधवाओं की व्यवस्था की है समाज के अंदर । इन दो चीज़ो से भी अगर हम सीख लेंगे तो शायद हम इसे जड़ से समझने की कोशिश करेंगे । इस देश में विधवा मंगलकार्यो में पहल नही कर सकती, सामने नही आ सकती ,माथे पर बिंदिया नही लगा सकती, श्रृंगार नही कर सकती, एक ऐसा जीवन उसे जीना पड़ता है कि घर के एक कोने में पड़े-पड़े बरसों गुज़ार सकती है लेकिन उसको सामाजिक जीवन में हम शामिल नही करना चाहते है । यह मानसिक हिंसा है, यह सामाजिक हिंसा है, यह एक ऐसी हिंसा है जिसका हमें सामना करना पड़ेगा और यदि सामना नही करेंगे तो काम नही चलेगा । मुझे खुशी है इस बात की कि हम इस विषय पर आज विचार कर रहे है । हमारे पास अपने-अपने अनुभव हो सकते है, अपने-अपने पड़ोसियों के अनुभव हो सकते है लेकिन मूलतः जिस देश को बनाकर हम आगे ले जाना चाहते है , मैं सरला जी को बधाई देना चाहता हूं , इन्होंने लिखा है इसमें – न्याय सम्मत समाज के विकास हेतु, यदि हमारे शरीर का एक अंग किसी भी तरह से लड़खड़ा कर कमज़ोर हो जाता है तो विकास नही हो सकता है और यह एक कारण है । यह नारी मुक्ति या नारी स्वातंत्रय का प्रश्न नही है, यह नारी के खिलाफ़ एक सुनियोजित, सुनिचारित, सुर्चिंतित और जिसे हम कहते है सुव्यवस्थित हिंसा जो इस देश में चल रही है, उससे लड़ने का एक उपक्रम है और इस उपक्रम को मैं पराक्रम मानता हूं । यदि हम इस कानून को पास कर सके और ज्यादा सख्ती के साथ पास कर सके ज्यादा सख्त कानून बना सकें तो सारे संसार में हम एक मैसेज देंगे । दुनिया में क्या हो रहा है , इस बात की बहस में मै पड़ना नही चाहता और न पड़ना चाहिए । हमें यह देखना है कि हमारे अपने घर में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे है उसके लिए ? मैं कोई पुराण या धर्मशास्त्रों के उदाहरण नही देना चाहता । यदि देना शुरू कर दूंगा तो मेरा विश्वास है कि सवेरा यहीं पर हो जाएगा । लेकिन ऐसी-ऐसी घटनाएं हमारे सामने घटी है, बेकसूर जिनका कोई कसूर नही, लेकिन वह त्यक्ता है, परित्यक्ता है, वह त्याग दी गई है, छोड़ दी गई है, निकाल दी गई है और वह इस घर में, इस समाज में रहने के लायक नही है, वह अभिशप्त है, एक तरह से ऐसा जीवन जी रही है । इन सारी बातों पर हमें सदन में गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए । जो इसमें प्रावधान दिए है, उनसे मैं कई जगह शतप्रतिशत सहमत

नही हूं, लेकिन फ़िर भी इतना कह सकता हूं कि इनको और ज्यादा सख्त बनाना चाहिए । मुझे नही पता कि जो हमारे सदन की या संसद की स्टेंडिंग कमेटी के सामने सरकार द्वारा निरूपित जो विधेयक है, उसका प्रारूप क्या है, मुझे जानकारी नही है । किन्तु उसमें कुछ सख्त नही है तो प्रावधान में से लेकर उसको और सख्त बनाइएगा । सख्त बनाकर, इस सदन के सामने रखकर, स्वीकृति लीजिएगा । स्वीकृति लेकर, हम यह कोशिश करें कि यह कलंक हमारे यहां से मिट जाए । आप चलकर देखिए कि महिलाएं कहां कम है, महिलाएं कहीं कम नही है । हम देहात के लोग है, देहात में अगर साईकिल पर बैठकर कोई महिला निकलती थी तो लोग कहते थे कि यह बदजात हो गई, इसका चरित्र गिर गया । यह साईकिल पर बैठकर निकल रही है । लेकिन आज वही लड़कियां हमारे यहां पैंट और जीन्स पहनकर, मोटर चला रही है, कारें चला रही है, ट्रैक्टर चला रही है, खेती-बाड़ी में बराबर का साथ दे रही है । हमें पता है पहले उनको हल में जोता जाता था । वह महिला है इसलिए उसको बैल की जगह जोतकर, खेती में काम लिया जाता था । हमने अपनी आंखो से ये सब दृश्य देखे हुए है । ये हिंसा के अदभुत दृश्य है । यदि हम कवियों को और कविताओं को कोट करना शुरू कर दें तो महोदय, कौन सा ऎसा कवि है जिसने नही लिखा हो, लेकिन उनकी सुनी कहां गई,मानी कहां गई ? यदि हम सुनना और मानना बंद कर देंगे तो हम गूंगे और बहने सदनों में शामिल हो जाएंगे । मैं विश्वास करता हूं कि सरला जी को इस बेहतर विधेयक के लिए बधाई देनी चाहिए । यदि इस विधेयक को वापस लेने का परम्परागत आग्रह नही होता है तो हम अग्रिम बधाई देना चाहते है । यदि आपका परम्परागत आग्रह होगा, सुमित्रा जी, माननीय मंत्री जी, तो फ़िर हम आपको कैसे बधाई देंगे?...(**व्यवधान**)... हमें परम्पराओं को तोड़ना पड़ेगा । यदि आप सात फ़ेरो में विश्वास करती है तो मैं नही जानता कि आपके यहां पर क्या विश्वास है, लेकिन मेरे यहां विश्वास है । सात फ़ेरे होते है । छः फ़ेरे तक लड़की पीछे रहती है और सातवें फ़ेरे में पंडित लड़की को आगे कर देता है । कहता है कि 'तू पीछे रह, यह आगे चलेगी, सारे घर का निर्माण यह करेगी । ' वहां तो हम उसको आगे कर देते है लेकिन ज्यों ही हमारे घर में आती है, हम उसका रक्तपान करना शुरू कर देते है । हम उसका शोषण करना शुरू कर देते है, यह तो नही चलेगा और न हमको यह चलने देना चाहिए । हमको इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और इस सदप्रयत्न के लिए महोदय मुझे खुशी होगी आपके उपसभापतित्व में यह विधेयक किसी न किसी पगडंडी की तरफ़ चल पड़े और किसी न किसी अच्छे राजमार्ग से जुड़ सके । सरला जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय आपका अभिनन्दन करता हूं और माननीय मंत्री महोदया आपसे प्रार्थना करता हूं कि अभी भी समय है, यहां से बाहर जाइए और पास के बूथ से टेलीफ़ोन करके अपने मंत्री जी पूछे लीजिए कि यह सदन इसे स्वीकार करना चाहता है और इसको स्वीकार करवाइए । बहुत –बहुत धन्यवाद और सरला जी आपको मेरी तरफ़ से बधाई ।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तारांचल) . उपसभाध्यक्ष जी, सरला जी ने विषय भी बहुत अच्छा उठाया है और भाव भी बड़े अच्छे है । लेकिन इसमें कुछ संशय है, इन्होंने जो विधेयक पेश किया है उसका नाम रखा है घरेलू हिंसा निवारण (विधेयक), 2001, घरेलू हिंसा की बढ़ती हुई समस्या के निवारण और विशेषकर ऐसी हिंसा के पीड़ितों को संरक्षण आदेश देने के लिए न्यायालयों को शक्ति प्रदान करने तथा तत्संबंधी और विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक । इसमें स्त्री भी शामिल है पुरूष भी शामिल है इसमें बच्चा भी शामिल है बच्ची भी शामिल है । लेकिन आपने सारा भाषण महिलाओं पर केन्द्रित रखा । यह विरोधभास था । इसके आगे ...(**व्यवधान**)...

मैं आपके विधेयक से पढ़ रहा हूं, आप सुन लीजिए । दूसरा, आपने अपने विधेयक की धारा-2 जिसमें आपने परिभाषा दी है ।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY) in the Chair]

भाग 'च' में है, ' घरेलू हिंसा से कोई कृत्य, लोप या आचरण जो इस प्रकृति का है कि उससे घरेलू नातेदारी में व्यथित व्यक्ति या किसी बालक-बालिका को चोट पहुंचती है या क्षति पहुंचती है, आपने स्वयं कहा है कि इसमें बालक भी शामिल है, बालिका भी शामिल है, पति भी शामिल है और पत्नी भी शामिल है । आगे फ़िर आपने इसकी उपधारा (3) में कहा है कि 'बालक-बालिका के यौन शोषण' में या यौन प्रकृति का कोई कार्य वगैरह । मेरा यह मानना है कि यह एकतरफ़ा नही है । महिलाओं पर भी अत्याचार होते है और पुरूषों पर भी अत्याचार होते है । पुरूष बलात्कार करके महिला की हत्या करते है । लेकिन आजकल यह भी पढ़ने को मिल रहा है कि स्त्रियां प्रेमियों से मिलकर पतियों की हत्या करवा रही है । ऎसा भी पढ़ने को मिलता है । लिहाजा जहां तक घरेलू हिंसा की बात है हमें इसी पर केंद्रित रहना चाहिए । आपने दुनिया का तमाम साहित्य और इतिहास पढ़ डाला । आप जबानी बहुत अच्छा बोलती है, लेकिन आपने पढ़कर उसके भाव और प्रभाव को कम कर दिया है । जो व्यावहारिक पहलू है उस पर तो आप गई ही नही है । हिंसा के मायने क्या है ? पहली बात तो यह है कि हिंसा को परिभाषित करना चाहिए । मन, वचन, कर्म से किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाना हिंसा कहलाता है । मन, वचन और कर्म । इसकी व्याख्या सबसे पहले जीवित इतिहास में हुई । इतिहास तो बहुत्य पुराना है लेकिन जब तक का अवेलेबल है उस जीवित इतिहास में गौतम बुध्द ने इसकी परिभाषा दी थी वे उन्होंने पहली शिक्षा दी थी पाणातिपाता देरमणी सिक्खापदमस्मादियामी' मैं हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं । वे भिक्षु और भिक्षुणी से प्रतिज्ञा लेते थे कि मैं हिंसा नही करूंगा । Professor Sahib, you understand मैं , वचन , कर्म से किसी प्राणी को कष्ट नही पहुंचाऊंगा । यह जीवित इतिहास है । यह गौतम बुध्द ने कहा है । हिंसा की परिभाषा और इसके लिए कोई प्रतिज्ञा । जब शादी व्यवहार होता है, पंडित जी जब ब्याह पढ़ते है, मुझे मालूम नही लेकिन ये श्लोक तो बहुत पढ़ते है , ये लड़का, लड़की से क्या कहलवाते है , दूल्हा-दुल्हन से क्या कहलवाते है, मुझे कुछ समझ नही आता । यहां पांच-पांच प्रतिज्ञाएं गौतम बुध्द ने दिलवाई थी । लड़के को और लड़की को कि शादी होने के बाद तेरा क्या कर्त्तव्य होगा । मैं उन्हें यहां कहना नही चाहता , मुझे जुबानी याद है । दूल्हा (लड़का) और दुल्हन (लड़की) से भी पांच प्रतिज्ञाएं लेते थे । अब तो पंडित जी कहते है, अड़म-गड़म स्वाहा, लाओ सोने का टका, अड़म-गड़म स्वाहा, लाओ सोने का टका । कोई क्या प्रतिज्ञा दिलवाता है, कोई क्या कहलवाता है, हमें समझ नही आता और नही हमें कुछ मालूम है । अब कोई प्रतिज्ञा नही दिलाता । अब कोई कर्त्तव्यों की प्रतिज्ञा नही दिलवाता कि स्त्री और पुरूष, पति और पत्नी का एक-दूसरे के प्रति क्या कर्त्तव्य होगा । सरला जी, मैं व्यावहारिक व्यक्ति हूं । मैं पढ़ाई-लिखाई की बात ज्यादा नही करता इसलिए दो-तीन बातें ही कहना चाहूंगा । हमारे यहां घरेलू हिंसा को रोकने का एक सामाजिक नियम था । वह था आश्रम पध्दति । वह आज समाप्त हो गई है । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वाणप्रस्थ और संन्यास । सब अपने-अपने कर्त्तव्यों का पालन करते थे । आज वह आश्रम पध्दति पूरी तरह से समाप्त है । आज हर आदमी कमाने में लगा है । लड़का-लड़की पढ़ने जाते है पर सवेरे दुकान पर भी बैठते है । आदमी बूढ़ा हो गया है लेकिन वह भी दुकान पर बैठता है । हर आदमी पैसा बनाने में लगा हुआ है । हम अपनी

आश्रम पध्दति को भूल गए है । इसके बाद एक पध्दति है संयुक्त परिवार की । एक घर होता था, एक-दो कमरे या कोठे होते थे । एक दरवाज़ा, एक रसोई होती थी । एक कमरे में सारे आदमी सोते थे । इससे एकता का भाव, प्यार का भाव, प्यार का भाव रहता था । एक किचन में सब खाना खाते थे । अब चार कमरो का मकान है, चार किचन है, सब अलग-अलग खाते है । अलगाव आ गया है । अब परिवार में एकता का भाव है ही नही । अब बात तो व्यावहारिक है । क्षमा करेंगे । व्यावहारिक पहलू को भूल रहे है । हम गांव के रहने वाले आदमी है । जाड़े के दिनों में शाम को मुहल्ले में एक अलाव लगता था, लकड़ी, खोई जलाते थे । सारे मुहल्ले के लोग वहां आकर बैठते थे और एक साथ हुक्का पीते थे । सारी बातें करते थे । अब घर में बेटा 6 बहुएं है तो 6 के छहों अलाव शाम को 7 बजे कमरो के अंदर लग जाते है । आज कोई एकता का भाव नही है । तो इससे अलगाव का भाप पैदा होता है । एक जगह खाना नही बन रहा है । खाना सब अलग खाते है ।

यह हिंसा की भावना कैसे पैदा हो रही है, मैं इस पर आपको ले जाना चाहता हूं । फ़िर तामसी प्रवृत्तियां बढ़ रही है । पहले सादा भोजन करते थे । घूंघट भरकर औरतें रहती थी, यहां तक लम्बी कमीजें पहनती थी, नीचे तक , यहां , बीस बीस गज का लहंगा पहनती थी ...(**व्यवधान**)... माफ़ करें, आपको जरा कड़वी बात लगती है । यह जो अंगो का प्रदर्शन है, शरीर को न ढ़कना, यह भी बहुत हो रहा है । पहले हमारे समाज की कुछ मान्यताएं थी और वे मान्यताएं तामसिक प्रवृत्तियां रोकती थी । मांस नही खाते थे, मदिरा नही पीते थे । भला हो, यहां पर अखबार में पढ़ा – सही है या गलत कि एक मिनिस्टर की मिनिस्ट्री इसी बात पर छिन गयी कि वे गुटका बंद करना चाहते थे लेकिन हाई कोर्ट ने गुटका और पान मसाला बंद कर दिया । जो काम नेता नही करना चाहते वह काम कोर्ट करता है । नेताओं की इच्छा शक्ति क्या है ? तो ये तामसी प्रवृत्तियां, बीड़ी, सिगरेट, पान तम्बाकू, चरस, भांग , गांजा, सुल्फ़ा, अफ़ीम, शराब पीना बढ़े है । पनवारी की दुकान पर तम्बाकू के हार के हार, माला की मालाएं लटकी हुई है और यहां पर आकर, पिच्च, पिच्च, करके गंदगी करते है । हर आदमी यह कर रहा है । ये तामसी प्रवुत्तियां बढ़ रही है ।

पहले ज्यादा से ज्यादा क्या होता था कि शाम को तमाशा या नाटक होते थे । सब एक साथ, बेटा , पति, पत्नी देखते थे । कोई तामसी प्रवृत्ति नही थी । अब सिनेमा और टीवी पर शराब की बोतलें दिखाई जाती है । कोई टीवी का सीरियल, सिनेमा ऎसा नही है जिसमें डकैती, मार धाड़, बलात्कार न दिखाया जाता हो । क्या शिक्षा दे रहे है ? पहले डकैती डालो, फ़िर डकैत का सुधार करेंगे । कितनी बेवकूफ़ी की सोच है यानी पहले डकैती डालना सिखाओ और फ़िर सुधार करो । पहले शराब पिलाना सिखाओ और फ़िर सुधार करो, पहले बलात्कार कराना सिखाओ...(**व्यवधान**)... पहले ये कोई चीज़े नही थी । आज ये सारी चीज़े घर में आ गयी है । इसलिए आज तामसी प्रवृत्तियां बढ़ रही है ।

पोषाक पहनने में तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ रही है । अब इसके अलावा शादियां देखिए । एक बार हम अपने पिताजी के साथ एक लड़की के लिए लड़का देखने गए । एक आदमी घास खोद रहा था, उससे पूछा कि भइया, फ़लां आदमी के पास कितनी ज़मीन है, कितने भाई है, कैसा चाल चलन है । बोला ऎसे है । उनसे पूछा तुम्हारा ननसाल किस गांव में है, तुम्हारा ददसाल किस गांव में है, तुम्हारी लड़की-कहां ब्याही है । इससे उसके कुटुम्ब और रिश्तेदारो के आचरण का पता लगता था कि कैसा आचरण है । अब तो जाकर- 'जाके गलुआ चीकने... वाके मलुआ

यार । अब तो सीधा पद देखते है या गोरा चेहरा देखते है, न परिवार देखते है न पृष्ठभूमि देखते है और शादियां कर देते है । क्या पृष्ठभूमि है ? भला हो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का । ये राजनीतिक दल तो विरोध कर रहे है । जो कर रहे है तो कर रहे है । लेकिन सत्यता है कि अच्छे लोग, भले लोग, ईमानदार, शरीफ़ लोग, चरित्रवान लोग, संघर्ष करने वाले लोग, समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोग आज एमएलएअ, एमपी नही बन सकते । आज बेकामी लोग, तमाम पैसे वाले लोग, दुराचारी, अनाचारी, हिंसा, जिनकी पहूंच है, ऎसे बहुत से एंटर हो रहे है । सब नही ।

तो पहले ये शादियां सोच-समझकर की जाती थी । आज बेमेल शादियां होती है । लड़का-लड़की का मेल और पारिवारिक मेल नही होता ।

मान्यवर, मैं आपका ज्यादा समय नही लूंगा । जहां तक कानून की बात है तो सरला जी हमारे इंडियन पीनल कोड में कानून है और भारतीय दण्ड संहिता में एक धारा 2 है । भला हो अंग्रजों का, अंग्रेजों ने पहली बार यह कानून बनाया था कि कोई भी अपराध करेगा , एक्ट का ओमिशन, कमीशन, तो इस संहिता के अंतर्गत उसको सजा होगी । अब कोई से मतलब राजा हो, रंक हो, पति हो, पत्नी हो, आदमी हो, औरत हो, वरना उससे पहले सजा मिलती नही थी । इसमें इंडियन पीनल कोड में आलरेडी प्रावधान है । कौनसे कानून से आप बंद कर लेंगे ? इससे क्या आपने बंद कर लिया ? दूसरे सीआरपीसी की धारा 125 में यह प्रावधान है कि मां-बाप अपने आप को अगर मेंटेन नही कर सकते तो औलाद और, पति-पत्नी व बच्चों को कमाने वाला व्यक्ति , उसके पास साधन है तो वह मेंटीनेंस देगा, खर्चा-खानगी देगा और वे खर्चा- खानगी ले सकते है । यह सीआरपीसी में पहले दिया हुआ है, कानून पहले से है, लेकिन इसका क्या अनुपालन हो रहा है ? तीसरी चीज़ एक लोक अदालत की प्रक्रिया चली है । लोक अदालत में मामूली मुद्दे,जो ऎसे होते है, वे तय किए जाते है । मान लीजिए, पति-पत्नी का झगड़ा हो गया , तो भाई, एक काम करो, तुम नही रखना चाहते तो इस घर का आधा हिस्सा इसे दे दो और आधा हिस्सा इसे दे दो, जिसकी बात आपने कही है कि रहने का हक मिलाना चाहिए । लोक अदालतें है । लेकिन क्षमा करना सरला जी, कानून से कोई चीज़ हल हो जाएगी, ऎसा हर चीज़ में संभव नही है । इच्छा शक्ति , समाज सुधारकों का और समाज का लगाव भी आवश्यक है । अभी विधवाओं के बारे में बात चल रही थी । महर्षि दयानंद ने विधवा विवाह शुरू कराए थे । आपको याद होगा वह पहले व्यक्ति थे, समाज सुधारक थे महर्षि दयानंद , उन्होंने शिक्षा, गऊओं की रक्षा, विधवा विवाह का चलन शुरू कराया । उस समय कबीर पंथी भी यहां पर समाज सुधारक थे, आर्य समाजी भी समाज सुधारक थे, सिखों के ज्ञानी प्रचारक थे, मुस्लिम मुवल्लिग़ भी थे, ये सब धर्म, कर्म और इंसानियत का प्रचार करते थे । चन्द्रकला पांडे जी, ये तुम्हारे मतलब की बातें नही है । तुमने तो इकोनोमिक्स पढ़ ली है । यह तुम नही समझती हो । आज जितने सोशल रिफ़ार्मर है, जो साइंटिफ़िक टर्म है उनके अनुसार वे सब हाईबरनेशन में चले गए । आज क्या कोई समाज सुधारक है ? कोई समाज सुधारक नज़र नही आता । आप जरा कहकर तो देखो, हरेक को वोट का लालच है और एमएलए, एमपी तो कह ही नही सकता । किसी को रोक ही नही सकता । चाहे 30 के 13 कर दे, पर नाम दरोगा धर दे, तू चाहे जो कुछ कर, पर वोट मुझे दे दे, चुनाव मुझे जिता दे । You expect something from the public representatives! I don't think यह हाव-भाव जो है तमाम समाप्त हो गया । समाज

सुधारक होना ही चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री जी ने संसदीय दल की बैठक में एक बड़ी अच्छी बात कही कि राजनीतिक कार्यकर्ता को तो सामाजिक कार्यकर्ता होना ही चाहिए। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा , ज्यादा समय नही लूगां। हमारे यहां इंदिरा जी ने जब बीस सूत्रीय कार्यक्रम चलाया तो उस समय पॉपुलेशन कंट्रोल में नसबंदी कार्यक्रम भी था। हमारे यहां ए0के0 दास डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। वहां केरल में एक कैंप लगाया गया। मैं रिपब्लिकन पार्टी में था और कांग्रेस का विरोधी था। तो उस कैंप में भाषण होने के बाद 50 कैंप लगाए गए। उस समय हिन्दुस्तान में टीवी नही चला था और रेडियो वालों को बुलाया गया था। उस समय मैं विरोधी दल में था और बीच में बैठा था। जब वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने उस कैंप का उदघाटन किया तो मैं वटां खड़ा हो गया और कहा कि मंत्री जी यह नसबंदी कैंप है और यह उदघाटन अधुरा है। पहले आप अपनी नसबंदी कराओ। मैंने यहां चार ऑफ़र की है। वहां डिस्ट्रिक्ट जज अख्तर हुसैन थे। मैं पेशे से वकील था। उन्होने कहा कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम यह कह रहे हो। मुझ से रेडियो वालों ने पूछा कि तुम क्यों कह रहे हो, तुम तो विरोधी दल के हो। मैंने कहा कि मैं दल का विरोधी जरूर हूं लेकिन मैं भारतीय हूं। यह मेरा देश है। यह सामाजिक बात है। इसकी आबादी कम करनी है। कौन करने को तैयार है। यहां तो यह है कि इस पार्टी का कह रहा है इसलिए मैं साथ नही दूंगा। सब पार्टी पॉलिटिक्स से नापते है। यहां तो, चाहे कितनी ही देश हित की बात हो वह कोई नही करेगा।

महोदय, एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। मैं ने 14 अक्टूबर, 1976 को एक सौ शादियां बगैर दहेज के एक साथ फ़ूल-माला के आदान-प्रदान से कराई जोकि अरेंज्ड मैरेजेज थी और 6दिसंबर, 1982 को 200 करवायी जिस में ज्ञानी जैल सिंह जी गए थे। आज ये काम कौन कर रहा है ? तेल, लकड़ी के चक्कर में सभी फ़ंसे है। सभी पैसा और साधन के चक्कर में लगे हुए है। इसलिए सरला जी भाव बहुत अच्छा है , विषय बहुत अच्छा है, घरेलू हिंसा रूकनी चाहिए, लेकिन घरेलू हिंसा को रोकने के लिए ये जो मूल कारण है, इन पर ध्यान जाना चाहिए। इन कारणों को दूर करने के लिए अपने आप को इनवॉलव करना चाहिए। उपसभाध्यक्ष जी, आखिरी बात कहकर समाप्त करूंगा। रामपुर में ताज़ियों का जुलूस निकल रहा था। वह पठानों का शहर है। ताजिए के साथ लोग छाती पीट-पीटकर चल रहे थे और हुसैन को किस ने मारा कह रहे थे ? बीच में कुछ बगैर पढ़े-लिखे आ गए और कहने लगे कि हम ने मारा। बात कुछ बढ़ी नही और जुलूस आगे चला गया। उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस दिन इस देश के नेता, नौकरशाह, जिम्मेदार नागरिक जिस देश के नाम पर फ़ीस लेकर, वजीफ़ा लेकर नौकरी पाई है, कोटा, परमिट, लाइसेंस, दुकान ,मकान,फ़्लैट,प्लाट पाएं, जो एम0एल0एज0/एम0पीज0 बनकर आए है, जिन्होंने देश के लोगो की कमाई से लाभ उठाया है, ये उन की जिम्मेदारी है कि वे इस देश को कुछ दें और देश के समाज को कुछ दें। पहले अपने आचरण को सही करें और एक बार यह काम कर के तो देखो फ़िर चाहे वोट मिले या न मिले। बड़े-बड़े लोग चले गए जिन के महलों में हजारों रंगों के फ़ानूस थे, झाड़ उन की कब्र पर है और निशां बाकी नही।

सरला जी, मैं आप की भावना की कद्र करते हुए आप के विधेयक का समर्थन करता हूं। क्षमा कीजिए, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं क्योंकि एक सामाजिक प्राणी रहा हूं और ज़मीन का आदमी हूं। मैं झोंपड़ी से निकलकर आया हूं, इसलिए लिखाई-पढ़ाई की बात कम करता हूं

और व्यवहार में जो मैं ने देखा है इसलिए मुझे कुछ वहां का ज्ञान भी है । मैं आप के इस विधेयक का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

डा0 रमेन्द्र कुमार यादव रवि (बिहार) . माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सरला जी द्वारा घरेलू हिंसा निवारण विधेयक, 2001 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मेरी मौलिक धाराणाएं है, मगर जो व्यक्तिगत धाराणाएं है, वे भी मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा । एक दार्शनिक की लिखी कुछ पंक्तियां मैं पहले आप के सामने रखूंगा । उन्होंने लिखा था कि, God can not be always everywhere. So He created mother. हमें इसे भी दृष्टिपथ में रखना चाहिए । इस के साथ ही मैं अपनी एक कविता आप के सामने प्रस्तुत करूंगा जोकि लगभग 30-40 साल पहले छपी थी । इस कविता का शीर्षक है 'वैशाली की दत्तक पुत्री ।'

'वैशाली की दत्तक पुत्री, रात के सन्नाटे में, अब भी सिसकती है,
अस्मत का सौदा समष्टि के निमित्त,
तब एक पुण्य पर्व था, अब भी पुण्य पर्व है ।
अवैध संतान की चीख, राज दरबार के गुम्बजों तक अगर पहुंची भी,
वह अनसुनी कर दी जाती थी, अब भी कर दी जाती है ।
किराए की कोठरी में जहां मैं रहता हूं ।
हर रात वहां कोई न कोई
वैशाली की कुमारी आती है ।
उसकी चीखें सुनता हूं ।
उसके साथ का व्यक्ति
दस-बीस देता है, खाना खिलाता है ।
चिकनी चुपड़ी सुनाता है ।
और सबेरा जब झांकना चाहता है
उसके पहले ही वह घर पहुंचा दी जाती है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इन दोनों कथनों, दोनों अभिव्यक्तियों में विरोधाभास है । जिस विषय के संदर्भ में यह विधेयक लाया गया है, मैंने पहले ही कहा, मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी अभी सरला जी इस विषय पर बहुत अधिक कह गई । आप बहुत बेहतर बोलती है, भाषा पर अख्तियार भी रखती है । सम्मानीय वैरागी जी और मित्र संघ प्रिय गौतम जी ने भी इस पर अपने विचार रखे । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे इस मुल्क में मातृ सत्ता, पितृ सत्ता के साथ गुरू सत्ता का भी चलन रहा है । भारतवर्ष में मातृ प्रधान युग रहा, अब पितृ प्रधान युग है और यह मुल्क गुरू प्रधान भी रहा है । यह इतना व्यापक संदर्भ है, जिस पर मैं इतने कम मिनटों में ठीक से नही कह सकता । इसके विस्तार में , गहराई में गए बिना मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन कारणों का उल्लेख संघ प्रिय गौतम जी ने और बैरागी जी ने किया, उसमें पति, पत्नी, परिवार, बच्चे, माता-पिता सभी आ जाते है । इसमें सिर्फ़ पुरूष जाति या पति की क्रूरता की बात नही बल्कि समाज में प्रचलित असमानता, जिसे हम विषमता मानते है, वह भी आती है । इस मुल्क में समाजिक विषमताएं भी है, धार्मिक विषमताएं भी है, पारिवारिक विसंगतियां या विषमताएं भी है और पुरूष-नारी में दृष्टिभेद भी है ।

महोदय, यहां विधवा विवाह पर चर्चा हुई, मैं राममोहन राय जी या दयानंद सरस्वती जी की चर्चा नही करना चाहूंगा कि उन्होंने विधवा विवाह की बात क्यों की और सत्ती प्रथा का विरोध क्यों किया ? उसके पीछे भावुक संदर्भ सिर्फ़ यह नही कि बलात नारियों को जला देना या पति की चित्ता पर जल जाने के लिए उनको मजबूर किया जाना । चर्चा के दौरान उदाहरण दिया गया कि हाथ में लोहे की छड़ होती थी । मैं उस विषय में नही जाना चाहता ।

महोदय, यूनिसेफ़ की बात कही गई, यूएनओ की बात कही गई कि वह नारी अधिकार और नारी समाज की समानता की बात करते है, लेकिन जिस संवेदना के साथ, जिस धार्मिक आस्था के साथ हम इस मुल्क में नारी को सम्मान देते है, उतना शायद ही कोई देता हो । हम किसी न किसी मां की कोख से आए है, हमारी भी बहनें है, हमारे भी बेटियां है । हमारे समाज में नारी की एक अवधारणा है । मैं कोई विज्ञान का विधार्थी नही हूं,लेकिन कहीं तो बायलोजिकल कंस्टीटयूशन है । नारी को कभी लोगो ने कहा कि असूर्यपश्या है, तो कभी उसके लिए किसी देश से बुर्का पर्दा आया । मैं इसके विस्तार में नही जाना चाहता कि ऎसा क्यों होता है । एक वक्त ऎसा भी आता है कि नारी घर में ही रहना पसंद करती है । हम जैसे, आप जैसे इस सदन में बैठे लोग जानते है कि जब मां-बहनें बच्चे को कोख में धारण करती है तो वह काम पर नही जाती, घर में रहती है । परमात्मा ने यह सब किया है, प्रकृति ने किया । दर्शन शास्त्र के अनुसार प्रकृति और पुरूष का संबंध है । अभी इस विषय पर विवेचना करना संभव नही है क्योंकि हमारी पार्टी से एक और माननीय सदस्या भी अभी बोलेंगी ।

महोदय, आज महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ी है । पुरूष जो काम करते है, वह महिलाएं भी करती है । आज हमारी बहनें हवाई जहाज उड़ाती है, सेना में भी है, डाक्टर भी है, इंजीनियर भी है, प्रोफ़ेसर भी है । मैं यह मानता हूं कि हम लोग अमरीका से, इंग्लैंड से अधिक विकसित है, संस्कारो से अधिक विकसित है । हमारे यहां लोग सीता राम कहते है । एक श्लोक के अनुसार जहां नारी की पूजा होती है वहां भगवान निवास करते है । आधे भाग की भी यहां कटु आलोचना की गई, जिसको नही पढ़ा जाता । हमारा देश राधा – कृष्ण का देश है, सीता राम का देश है, लैला मजनू का देश है, शीरी फ़रिहाद का देश है, आदम हौय्वा का देश है, मनु श्रध्दा का देश है । इस मुल्क में हम नारी को अच्छा सम्मान देते है । आज उसकी सहभागिता बढ़ रही है । वह वर्किंग लेडी हो रही है, उनमें आत्म-निर्भरता बढ़ी है ।

आप देखेंगे कि आदिवासी समाज में ये विसंगतियां कम है, गरीब समाज में ये विसंगतियां कम है, जहां की बेटियां-बहुएं भी काम करती है, प्रसव के दो दिन पहले भी वह धान का बोझ ढ़ोती है, वहां ये विसंगतियां नही है और जो समाज सिर्फ़ पति पर निर्भर है, वहां ये विसंगतियां ज्यादा है । हम लोगो की मां कोई नौकरी नही करती थी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मेरे पिता जी को मेरे 52 वर्ष हो गए, सब कुछ मां ने ही किया है, यह उस मां का ऎहसान है । कल अपने भाषण में श्रीमती माया सिंह ने कहा था कि पुरूष प्रधानता की जो मानसिकता है, इस मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है । मैं भी माननीय मंत्री महोदया से यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस मानसिकता के बदलाव लाने के लिए सरकार कोई ऎसी योजना, ऎसी कार्य-योजना बनाए कि हमारे संस्कारो में पुरूष समाज, जो इस व्यवस्था पर आधिपत्थ किए हुए है, पुरूष समाज का जो अहम है, पुरूष समाज का जो ईगो है, वह ईगो बदले और उसे बदलने की जरूरत भी है । ऎसी बात नही है कि हर बात में पुरूष ही दोषी होता है, स्त्रियां भी दोषी

होती है। मैंने अपनी कविता का पाठ करते हुए कहा था कि यह जो संबंध है यह प्राकृतिक है , अनिवार्य है और जैसा बैरागी जी ने कहा कि माता सत्य है, पिता विश्वास है और जहां उस विश्वास में खटास आती है या कोई कमी आती है तो पुरूष समाज का अहम सामने आता है, इसलिए कि वह फ़िज़िकली कुछ बलवान होता है। माफ़ कीजिएगा, हालांकि मालेश्वरी भी है जो पुरूष समाज के लिए एक चुनौती है कि वह इतना वेट उठा लेती है, ऐसी भी औरतें है, लेकिन कम है। पुरूष समाज शरीर से बलवान होता है , नारी शरीर से बलवान भले ही न हो लेकिन मन और संस्कार से वह बहुत बलवान होती है। मैं समझता हूं कि माता का जितना बड़ा कंट्रिब्यूशन सृष्टि में, समाज में, व्यवस्था में है, पुरूष उससे बहुत पीछे है और नारी तप, त्याग और बलिदान का बोझ जो ढ़ोती है, पुरूष इस मामले में उससे बहुत पीछे है। तो नारी को सिर्फ़ सम्मान या समान अधिकार ही नही मिलना चाहिए बल्कि विशेष अधिकार और विशेष सम्मान मिलना चाहिए और पुरूष समाज की जो अह्ममान्यता है, ईगो है अपने को प्रधान मानने का जो पुरुष में ईगो को समाप्त करने के लिए एक माहौल, एक वातावरण तैयार किया जाए ताकि पुरूष समाज नारी की महत्ता को, नारी के त्याग को, नारी के बलिदान को समझे।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं क्योंकि हमारी पार्टी की एक माननीय सदस्या को भी बोलना है। धन्यवाद।

SHRIMATI SHABANA AZMI (Nominated): Sir, I rise to support, in toto, the Bill of Smt. Sarla Maheshwari, because, I believe, it has all the necessary provisions for any legislation on domestic violence. In fact, I propose that the Government of India withdraw its official Bill, introduced in the Lok. Sabha, in March, 2002, which has now been referred to the Standing Parliamentary Committee on Human Resource Development. I propose that the official Bill be withdrawn and this Bill, which has the support of the women's organisations across the country be made the Government's Bill. In case this is too revolutionary a step and this can't be done, then I propose that this Bill of Smt. Sarla Maheshwari should also be sent to the Standing Committee on Human Resource Development to bear scrutiny so that they understand the significance of the provisions that Sarla Maheshwariji has spoken about, which must definitely be included in that Bill, if its purpose is not just to make a token measure towards women, but actually to redress the sufferings of victims of domestic violence.

Smt. Rita Vermaji is also here and I would like to remind her that the hon. Minister, Shri Murli Manohar Joshi, on 8th March, 2002, when Smt. Najma Heptullaji had spoken about the fact that several women's groups were against this Bill-end I had spoken abqut it—in fact, assured us, "if there were certain misgivings that the women's groups have, we would be only too happy to address them and include them, because our purpose is to provide redress." I have with me a representation here, made by

Ahmedabad Women's Action Group to the then Law Minister. Shri Arun Jaitley, when they had gone to protest against the Government's official Bill.

There were certain points that had been discussed over there. Amongst them are certain non-negotiable points as compared with the Government's Bill which I find very necessary to specify here. Firstly, in the very definition of domestic violence, the comments that we made are that itshould be defined to mean any act, omission or conduct which is of such a nature as to harm or injure or has the potential of harming or injuring, the health, safety of the person which includes physical abuse, sexual abuse, verbal and mental abuse and economic abuse. The definition further defines the various forms of domestic violence. This definition is based on the UN Model Code on Domestic Violence and is representative of women's experiences of violence. It is universally accepted definition of domestic violence. This is the first point.

Secondly, in the Government's Bill there is a plea of self-defence. All women groups are demanding the omission of clause 4(2) from the Government of India's Bill. It is absolutely non-negotiable and cannot be accepted.

Then comes the right to reside in the shared household. What we are insisting on is that law must include the right to reside in the shared household. Women will have a right not to be evicted or excluded from the household except in accordance with the law. If a woman is evicted, then she will have a right to enter the household. She has a right to obtain protection order in the form of residence order. If she is being thrown out of the shared household or is being threatened of the same, then this is of vital importance because we have seen that many women continue to live in homes where they are the victims of domestic violence only because they have no other place to go. The houses of their parents are closed for them. The State does not provide any kind of shelter for them. There is no place to go. They continue to stay in that violent situation. If by law they can be given the right to reside in the same household till such time as law takes its course, it will become clearer and not something which, like Mr. Arun Jaitley argues, is there in the provisions in the j idgements of maintenance because you cannot rely on judgements. You have to have a law that protects the right of women to reside within the same household. And we cannot rely on judgements. Mr. Arun Jaitley argues that that right is included under maintenance. What happens is that maintenance when it gets considered, it gets translated into cash. For example, if the

maintenance is Rs.2000 per month that includes the fact that the woman has some place to stay. So, it gets translated into cash. But what we are saying is that women must have a right to remain in the same household. Then the law must provide, in addition to the existing proposal, for protection order prohibiting a respondent from aiding and abetting in the commission of such acts, entering the place of employment or any other place frequented by the person aggrieved, attempting to communicate with the aggrieved person, alienating any assets, held or enjoyed by both the parties, either jointly or singly, causing violence to dependents or other relatives and persons. In the case of violation, the court may direct the respondent to pay monetary reliefs to meet the expenses incurred and losses suffered. The court may also pass a residence order. The court may give a temporary order of custody of any child. The court may pass an order directing the respondent to pay compensation and damages for injury caused. Clause 11 must be amended to provide mandatory counselling only for the abuser and not for the victim. It is on this account that this Bill of Shrimati Sarla Maheshwari must be supported.

Globally, violence within the home is universal cutting across culture, religion, class, and ethnicity. Despite this widespread prevalence, however, such violence is customarily acknowledged and has remained invisible - a problem thought unworthy of legal or political attention. According to the available statistics from around the globe, one out of every three women has experienced violence in an intimate relationship at some point in her life. The National Crimes Record Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India reveals a shocking 71.5 per cent increase in cases of torture during the period from 1991 to 1995. In 1995, torture on women constituted 29.2 per cent of the reported crimes against women. And this is just a figure of reported crimes. We know very well that a large number of these incidents never get reported because of lack of information on her rights and because she is surrounded by a society that tells her that it is the woman's lot to suffer. In fact, all the examples in our mythology are pertaining to women, who quietly acquiesced and put up no resistance whatsoever.

In fact, one knows of many instances where even parents, after their daughter tells them that her husband has been beating her, instead of taking the daughter away from that home of violence say, 'He is your husband. He must have been in a bad mood. You must have done something wrong. You cannot break up this marriage.' So, this constant

4.00 P.M.

pressure to keep the marriage alive under all circumstance acts as the reason why parents -- as Sarlaji has said, एक लड़की की डोली जाती है तो सिर्फ़ उसकी अर्थी वापस आनी चाहिए । I -- give up their right to provide protection to their daughters. In fact, their doors should remain wide open for their daughters just as they do for their sons because, then, the woman has a place to go when she is abused. This does not happen. There are lots of problems in -this. All right, many women cells are created. There are 'all women[1] police stations that are supposed to take notice of the domestic violence. But, no personnel training is given to women officers. So, they imbibe all the prejudices that a patriarchal male order has given to the society. In fact, there is a very fampus instance. *Manishi* -- a women's magazine - talks about one woman, who was staying in a slum, was badly beaten by her husband. She was so badly beaten that her eye had become black, her arm had been broken and the women organisations, finally, forced her to go and lodge an FIR in the police station. She was a woman from a slum area. She was very terrified. She knew that just lodging an FIR would mean she would be severing her relationship with her husband and his family for ever and she 'had nowhere to go. So, she was really frightened. Now, the police officer, instead of being sensitive to how frightened this woman was and giving a proper counselling, said, "So, what was your mistake? Why did your husband beat you up so badly? And the woman said, "There is no reason." The officer said, 'What do you mean by 'there is no reason?' Is your husband mad? Of course, you must have done something wrong." This woman finally said, 'I forgot to pick the cloths off the cloth's line. It rained .and all the clothes got wet again.' And the police officer said, "See; I told you it was your fault." I do not know whether to laugh or cry as I give this example. If we have- police officers, who are there for that purpose, and yet they have i internalised all the prejudices of a patriarchal society then life, as has been said b9 Shri Gautamji, it is not just a question of legislation but it is also a question of mind-set. This is not 'either—or'l It means, we need legislation and we need societal pressures to change that mind-set. Legislation becomes one of the most important ways to recognise that. It is not enough to say that we worship women in our society as *devis.* We do not want to be treated as *devis* at all. We want to be treated as equal citizens. आप हमारी वरशिप मत करो, आप हमारे सामने प्रणाम मत करो, लेकिन आप हमें बराबरी का हक दो, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है । Give us equal rights, equal opportunities, protect us from violence, give us a place to go so that we can find redressel. That is what" wdrnen in our society are

asking for. It is imperative that the State recognises the criminal nature of domestic violence and takes adequate measures to criminalise offences. State reluctance to dwell into what it seems to be a private sphere is placing increasing number of women at risk. The State should utilise its legal mandate to take strong punitive action against wife batterers. The present mandate in India is effectively limited to dowry-related violence and we have to understand that when we talk about violence, most of the time, we think that it is about dowry deaths. But, in reality, it is not. We have to go deeper into it and we have to understand that it is the constant pressure to keep the marriage alive under all circumstances that is responsible even for parents to turn their backs on their daughter. Another problem that parents face is this. If they allow their daughter to return from her husband's home, it seriously jeopardises the chances of the younger sister of the family getting married because we have very skewed priorities in our society where the woman gets penalised. So, she gets doubly victimised, but the man, "Who is the perpetrator, gets away scot-free and, in fact, is, probably, going to get married a second time. So, the society should also understand its responsibility and change its mindset and say, "Stop it. It cannot be and must not be tolerated". Today, violence against women continues in the society because it has the tacit approval -of all of society, and this must be changed. Thank you very much.

DR. M.N. DAS (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I wish to speak a few words on the request of my *bahen,* Sarla Maheshwariji. I look at the Bill in a wider perspective -- social perspective, economic perspective, cultural perspective, religious perspective. When we think of how Indian society has treated the Indian womanhood over the ages -- it is not the question of today -- we come to the conclusion that one of the worst features of Indian social culture has been oppression of women. On the one hand, we describe women as *devis. 'Devi'* means Goddess. All my sisters sitting here are like Goddesses. But, in practice, we use them as domestic slaves. That is the peculiarity of our culture. Culture is the mosaic of bright glittering stones and also very dark stones. Now, I open my mind before you, Sarla Maheshwariji. I have a serious thinking on committing a domestic crime in my own house by administering potassium cyanide to two of my little granddaughters. Because it would be better to let them die in peace, in my own home, before my eyes, rather than in the house of their in-laws. They would tortured for dowry for years and, finally, burnt alive. What a painful death would it be!

Sangh Priya Gautamji described himself as a social animal. Yes, no family is separate from society. We are thinking about domestic violence, but we have to think of social violence too. Kindly permit me, Sir, to refer to one point. My memory takes me back to 1955, when I had an occasion or a privilege to go through the original records of British District Collectors, who had felt surprised to see how barbarous Indian mankind could be towards women. I produce one instance. An eight-year old girl had become widow. Husband's age was more than 70, who belonged to a *kuleen* family of Bengal. The dialogue between the father and the eight-year old daughter, recorded by the Collector who heard everything in detail --sitting on a horse in darkness - was like this. Father tells his child, "Look dear. You will go to heaven for eternity." The girl asked, "Father, would you accompany me? Father said, "You will go with your husband." The girl asked, "Who is my husband?" The father said, "The other day you were married." The girl said, "Oh! that toothless old man. No, no. I would not go to heaven. I would stay with you." But the little girl was forcibly taken to pyre. When the pyre was lit, she jumped down, and the father used a bamboo stick to hit her, and again threw her into fire.

And, what about female infanticide, we were discussing yesterday? With the modern system of ultrasound, detection of female child in embryo is possible. Now, the delivery will take place inside the room, outside the same room where *dies* will be treating the pregnant women. When a child is born, the Dhai is told to give an indication. What is that indication? If a' boy is born, blow a conch and if a daughter is born, just remain silent. The moment you know thai it is a girl child, the needful is done. What is the needful? Just one man will enter and administer opium into the mouth of the girl child or take the child where a big pot, full of milk, is ready for burial. That is how they were treated.

You mentioned about the Right to Property. That was a nice suggestion. But, Sir, in Nehru's first Cabinet, Dr. Baba Saheb Ambedkar, introduced the Hindu Code Bill and the Bill contained a provision that like sons, daughters should also have a right over paternal property. And, do you know what happened? Throughout India, there was a hue and cry that daughters should not get the right to property.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) in the Chair]

A most interesting and humorous incident took place when 3000 sadhus participated in a procession outside Parliament House, shouting ' No Property Right to women, Hinduism is in danger'. One BBC correspondent

asked a leading sadhu, 'Well, Sir, how many daughters have you got?" The Sadhu became angry and said, 'I am Sadhu, and you are asking me, 'How many daughters I have got?' The correspondent then asked, 'How much property you have got? "We sadhus live in Himalayas, how can we have property?" The correspondent then asked. 'When you have neither daughters nor property, then, why do you shout, 'No Right to Property for women?' His reply was, 'Hinduism is in danger.' How Hinduism can be in danger, if daughters are given property, I don't know. Now, all these things are going on.

Sir, the Bill is under consideration, but unless there is a social consensus against the treatment meted out to mothers, grand mothers, wives and even daughters? nothing can be done. Even old men command their wives to do all the works. But, when they are even unable to walk, how can they domestic other work? And, as long as mothers remain strong, they are compelled to cook food. Wives, of course, are tortured everyday in some form or the other. Even small girls are compelled to work as domestic help. How can law prevent this? What India needs today is awareness, education and consciousness. If women get education, they would not tolerate the type of treatment that they are getting now at the domestic level or at the institutional level. But, unless education grows and unless poverty is eradicated, this problem will not get solved. Small girls start working as maids out of poverty. They don't have anything to eat. So, out' of necessity, they get employed and they start working as domestic servants. But, it is found that even the house wives torture the little maids. It is worse than the slave system of the ancient times or medieval times. Sarlaji, with due humility, I would say that women are more atrocious towards little girls than men. And this, we observe everyday. Nobody can deny it. So, Sir, what India needs today is not a law. Law cannot change social habits. Law cannot eradicate many vices prevalent in the society. Law cannot effectively work as far as domestic violence is concerned. Law will have to take its own course. How many people can go in for legal shelter? It is very difficult. So, let us be practical. In a poor country like India, it is only social consciousness and education which would be of some help. It requires the active participation of not only MPs or MLAs, but als? of educated women. The law alone cannot do this. Unless the educated women come forward, either in the form of NGO or any other organisation, to educate the people that men and women are equal, that we should be more merciful towards daughters or girls than towards sons or boys; unless

some consciousness is created, the law would not come to our rescue. Thank you very much.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, there are several laws to prevent crimes against women, laws dealing with rape, kidnapping and abduction, dowry deaths, torture, molestation, sexual harassment, importation of girls, etc. We have also the Sati Prevention Act, the Immoral Suspension of Traffic Act, the Indecent Representation of Women Act, the Dowry Prohibition Act, and so on. Now, my learned friend, Shrimati Sarla Maheswari, has brought another piece of legislation, the Domestic Violence (Prevention) Bill. I would like to say that this Bill has been brought with a good intention. The intention is laudable. At the same time, I would like to make some points which are in favour of this Bill, and some other points which are against this Bill. The first point which I would like to stress relates to the treatment meted out to the servant girls by their employers. Their condition is very pathetic. They are sold for a sum of Rs.4,000, Rs.5,000, and sometimes, just for Rs.400. They have to work hard in those houses. This kind of a thing has to be prevented. But this Bill has not incorporated any provision to deal with this problem. I would suggest that this point should be incorporated in this Bill. Another point which I want to make is - and it is very important -women are sent to foreign countries to work as domestic servants. There, they are working as maid-servants in several houses. There are several reports which show how they are suffering, and in what miserable conditions they work. This Bill does not deal with this problem also. I would suggest that this point should also be incorporated in the Bill. One another aspect I would like to submit is, because of some domestic problems, sometimes, it becomes very difficult for some girls to live in a joint family. So, they want their husbands to get separated from the joint family. And, to achieve their end, they even instigate their husbands. When they do not succeed in this, they are having the weapon in the form of the Dowry Prohibition Act or section 498 (A) of the IPC. Sometimes, unfortunately, it may lead to action under 304 (B) also. What I want to submit is, the ladies do not want to live in a joint family. If they live in a joint family, their husband's income will be shared by other members also. So, it may be one of the reasons for their asking their husbands to leave the joint family. Another interesting point is, in Tamil Nadu and some other places, the main reason for their separation are the astrologists and samiars. It is the samiars and astrologists who say that the husband and wife should live separately for a period of one year,

otherwise, there will be some problem in the family. No son will be bom. And, if at all a son is born, he will be responsible for the death of his father. So, the samiars ask the husband and wife to live separately. Ultimately, what happens is, they live separately, throughout their life. So, lack of education is one of the other factors that causes the difficulty. As far as the Hindu Marriage Act is concerned, it says, 'the cruelty is an offence.' If the cruelty is committed by a husband upon his wife, she can get the divorce. And, if the wife commits a cruelty upon the husband, the husband is entitled for a divorce. Sir, when we talk about cruelty, I would say that mental cruelty is one of the important things that need to be taken into consideration in this regard. Do not think that always only the husbands are committing cruelty upon the wives. There are several instances, several cases, where the wives are committing cruelty upon the husbands, which results in a divorce. There was a case in which the wife said that her husband is a lunatic, his father is a lunatic, his mother is a lunatic, his great-grandfather is also a lunatic; they are all of unsound mind, the whole family is full of persons with unsound mind.' This matter went to the Supreme Court. The petitioner asked whether the husband was entitled for a divorce on the ground of cruelty. The Supreme Court said, "Yes, he is entitled for a divorce." So, the point is, harassment, mental torture, as well as cruelty comes from the women also. As far as adultery is concerned, a divorce can be obtained by both the parties. It can be obtained either by the husband or by the wife. So, as far as these offences are concerned, it can be committed from both the sides. As far as this law is concerned, they have incorporated two aspects.

My another submission with respect to domestic violence is this. I would like to quote clause 5, sub-clause (vii) of the Domestic Violence (Prevention) Bill, 2001. It says, "alienating any assets, operating bank lockers or bank account used or held or enjoyed by both parties, either singly or jointly, including her stridhan." With due respect to Smt. Sarla Maheshwari, I would like to request her to kindly look into this matter. Everybody is having the same difficulty. I am a husband and I am earning money. I am putting it in my lockers or in a joint account. Can the wife say that she has the right to take all the property from my hands? Every husband is having the same problem. If he forgets that he has kept his salary in his shirt pocket, after some time, he finds that the whole money has disappeared. Even for one or two rupees, he has to beg. He begs, "Please give me one or two rupees, I want to go to the qinema." But the

wife replies, "No, no, you can go to the cinema tomorrow. You need not go to the cinema today." So, these kinds of things are also a sort of domestic harassment upon the husbands. But, as far as this law is concerned, it is giving protection to the women alone. As far as the domestic violence is concerned, it cannot be said that it is committed against the wives alone. It can be committed against the husbands also. It is also applicable to them. What I say is, the definition of 'aggrieved person' needs to be defined properly. You have defined here as to who is an aggrieved person. You have defined only the women as an aggrieved person. I request Mrs. Sarla Maheshwari to kindly amend it and include 'male' also in the definition of 'aggrieved person'. It does not happen always, but, sometimes, it happens. Because, once cruelty has been included as a reason for divorce between the husband and wife, the same has to be applied in the case of domestic violence also, along with other reasons.

With great respect, I submit that your aim is good. I appreciate it from all angles. But, my request is, please include male also, wherever it is possible.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu) : Mr. Vice-Chairman, Sir, in Tamil Nadu, thirty per cent of the Government jobs are reserved for women. If the same is implemented throughout the country, it would result in their economic independence. It will be very good for them.

श्री श्यामलाल (उत्तर प्रदेश) **:** माननीय उपसभाध्यक्ष जी, बहिन श्रीमति सरला माहेश्वरी द्वारा जो घरेलू हिंसा (निवारण) विधेयक, 2001 प्रस्तुत किया गया है, उसके संदर्भ में मुझे अपनी बात कहने और विचार रखने का आपने जो अवसर दिया है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मान्यवर, जहां तक हम जानते हैं, हम जिस सौरमंडल में रहते है उसमें धरती है और उस को हम धतती माता कहते है । हम जिस भूखंड में रहते है उसे भारत माता कहते है । विश्व का कोई दूसरा ऐसा देश नही है जहां इस धरती को माता के नाम से न पुकारा जाता हो ।

हमारे यहां एक पुरानी परिकल्पना है मान्यवर । वह परिकल्पना यह है कि मनु और शतरूपा – स्त्री और पुरूष से तीसरी जो उत्पत्ति उससे यह मानव समाज है ईसाई धर्म हो अथवा मुस्लिम धर्म हो उनमें आदम और हत्वा हुई की परिकल्पना है । मान्यवर,मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे जीव जन्तु – सबमें स्त्री और पुरुष का जो समूह है उससे तीसरी उत्पत्ति होती है । यह सर्वज्ञ है ।

मान्यवर, जहां तक बहिन सरला माहेश्वरी जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है – महिला घरेलू हिंसा निवारण विधेयक – इसका दूसरा तात्पर्य यह हो सकता है कि हम अहिंसा के पक्षघर हों अथवा अहिंसावाद की परिकल्पना करें । अहिंसावाद का दूसरा नाम हम इस देश में गांधीवाद से ले सकते हैं । गांधी जी की एक बात मैं यहां उदाहरण स्वरूप रखना चाहता हूं ।

हिंसा जो है वह केवल किसी को मारने से नहीं होती है । किसी की आत्मा को किसी भी रूप में तकलीफ़ देना – इसको भी हम हिंसा का रूप देते हैं, इसको हिंसा के नाम से पुकारते है । इसका दूसरा पहलू, इसके विपरीत जो हैं, उसको हम अहिंसा के रूप में लेते है ।

गांधी जी का , पति पत्नी का, एक दूसरे की आत्मा के संबंध का एक उदाहरण हमारे सामने है । मां कस्तूरबा गांधी बीमार थी । उनको दवा की जरूरत थी । वैध महोदय ने कहा कि मां कस्तूरबा को नमक खाने के लिए मना कर दीजिए, बंद करा दीजिए । गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं कहूंगा लेकिन मुझे एक सप्ताह का समय चाहिए क्योंकि मैं वह प्रक्रिया स्वयं अपने ऊपर लागू करूं और मेरी आत्मा को जब यह तकलीफ़ न हो तो मैं अपनी पत्नी को फ़िर उसको मानने के लिए कहूंगा । गांधी जी ने एक सप्ताह नमक छोड़ दिया, बगैर नमक के खाना खाया । एक सप्ताह के बाद मां कस्तूरबा से उन्होंने कहा यदि आप नमक खाना छोड़ दें तो आपको जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा । कस्तूरबा जी ने तुरंत कहा कि पहले आप तो नमक खाना छोड़ दीजिए उसके बाद हमें बताइएगा । गांधी जी ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने एक सप्ताह पहले से नमक छोड़ दिया था, इसके बाद मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप छोड़ दीजिए । इसका असर पड़ा और कस्तूरबा जी ने नमक छोड़ा ।

हम जब खुद पर देरवते हैं कि उससे हमें तकलिफ न हो वही अंहिसा है और उसको ही दूसरे के उपर लागू करें

आत्मा के संबंध में एक दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं । गांधीवाद के दूसरे स्वरूप में हम लाल बहादुर शास्त्री जी को लेते है । लाल बहादुर शास्त्री जी ने गाड़ी खरीदी और करीब आठ हजार रूपए का कर्ज गाड़ी के लिए अवशेष रह गया था । लाल बहादुर शास्त्री जी का स्वर्गवास हो गया उसके बाद बैंक वालों ने शायद वह कर्ज माफ कर दिया । लेकिन जब ललिता शास्त्री जी को पता चला कि बैंक वालों ने लाल बहादुर शास्त्री के कर्ज को माफ़ कर दिया है तो उन्होंने तुरंत वहां सम्पर्क स्थापित किया और उसी गाड़ी को बेचकर उन्होंने कर्ज की अदायगी की, इसलिए की शास्त्री जी की आत्मा जो स्वर्ग में है उसको तकलीफ़ न हो । यह एक दूसरे की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, पति पत्नी के संबंध का हमारे सामने उदाहरण है ।

अब महाभारत काल में जाइए । महाभारत की लड़ाई क्यों हुई ? द्रोपदी के विरूध्दे कौरवों ने जो अन्याय किया, हिंसा का स्वरूप लिया उसकी परिणति महाभारत में हुई और कौरवों का विनाश हो गया । दूसरा स्वरूप मैं आपके सामने रावण का रखता हूं । रावण, सीता और राम का उदाहरण आपके सामने है । सीता का हरण हुआ । हिंसा प्रवृत्ति अपनायी गयी । फ़िर उदाहरण आपके सामने है । उसकी परिणति लंका के विनाश में हुई ।

यहां पर दूसरा एक और पक्ष रखना चाहता हूं । इस देश में सत्ती प्रथा चल रही थी । सत्ती प्रथा की पीड़ा राजा राम मोहन राय के दिल में उठी । वह सामाजिक दुर्व्यवस्था थी और राजा राम मोहन राय ने पूरे हिंदुस्तान में उसके खिलाफ़ आंदोलन छेड़ा और आंदोलन छेड़ने के बाद इस देश में सत्ती प्रथा को समाप्त करने में उन्हें सफ़लता मिली । दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि यहां विधवा विवाह वर्जित था । लेकिन सरस्वती दयानंद ने इसके लिए संघर्ष किया और आंदोलन किया तथा उसको सामाजिक मान्यता प्रदान की गई । मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं । पति और पत्नी के रूप में हमारे यहां जो शादी की प्रथा है यह एक सामाजिक प्रथा है । यह कानूनी प्रथा नही है । कानूनी शादी दूसरे देशों में होती होगी, हमारे देश में नही है ।

हमारे देश में तो सामाजिक बंधन है। दो आत्माओं के बंधन को हम शादी का स्वरूप देते हैं, पति-पत्नी का स्वरूप देते है। यह मान्यता हमेशा से रही है और आज भी है। एक-दो परसेंट कहीं भूले- भटके कोर्ट मैरिज हो जाती होगी तो वह अलग बात है, लेकिन मान्यता आज इसी की हैं। मैं विद्वानों के रूप में कहना चाहता हूं। वेदों के ज्ञाता में हमारे यहां गार्गी का नाम लिया जा सकता हैं और बहादुर महिलाओं में हमारे यहां रानी लक्ष्मी बाई का नाम लिया जा सकता है। आज हमारे देश में जो परिस्थितियां चल रही है , उन कुरीतियां के विपरीत, जैसे आज हमारे भाई और बहनों ने यहां पर उदाहरण रखे हैं, उसी प्रकार एक पहलू हम यह भी रखना चाहते है कि जैसे एक गिलास में पानी हैं, आधा खाली है और आधा भरा हुआ हैं , तो इसे दोनों रूप से देखा जाता हैं। मान लीजिए आज हमारे यहां कोई आईपीएस हो गया, तो उसकी पत्नी चाहे बगैर पढ़ी-लिखी हो या पढ़ी-लिखी हो, आईपीएस मानी जाएगी, क्योंकि वह पुलिस कप्तान की पत्नी हैं, जिलाधिकारी हो गया तो कलैक्ट्राइन मानी जाती है, मास्टर हो गया, तो मास्टरानी मानी जाती हैं। हमारे सामने दोनो पहलू हैं। आज भी घर का मालिकाना हक पत्नियों के हाथ में ज्यादा रहता हैं। अब यह जो नई सभ्यता हैं टेलीविज़न की सभ्यता और अन्य जो सभ्याताएं है, कहीं न कहीं इसका कुरूप धारण कर रही हैं। जिसको हम तथा कथित सभ्य समाज के रूप में लेते हैं उनके यहां ज्यादा प्रथा है,लेकिन जो पुरानी सभ्यता में अभी भी चल रहे है, कम विकसित लोग हैं, उनमें दहेज के लिए जलाना या दहेज के लिए मारने जैसी कुरीतियां नही आई हैं, लेकिन जो सभ्यता में आगे अपने को प्रस्तुत करते है उनके यहां ज्यादा होती हैं। हम कानून से ही इन कुरीतियों पर बंदिश नही लगा सकते, इसके लिए हमको उदाहरण प्रस्तुत करनी चाहिए जो महात्मा गांधी ने किया और अन्य लोगो ने किया। ये सारी बातें है। आज निश्चित तौर पर देश की महिलाओं के लिए और अच्छे समाज के लिए यह माना जाता हैं कि परिवार में बिन घरनी घर भूत समाना। बगैर घरनी के घर अच्छा नही चल सकता है। जितनी अच्छी हमारे परिवार की महिलाएं होगी उतना अच्छा परिवार होगा। बच्चे अच्छे संस्कार प्राप्त करेंगे। पुत्र और पुत्रियां यदि पढ़ी-लिखी होंगी, सुशिक्षित होंगी, तभी अच्छा समाज बन सकेगा। लेकिन यदि हिंसा से वे लोग उत्पीड़ीत होंगे, किसी भी प्रकार के भय से उत्पीड़ित होंगे तो उनका दिमाग भी विकसित नहीं हो सकता हैं। उनकी सारी क्षमता में ह्रास होगा। ये सारी चीज़े और बुराइयां है जिनको दूर करने के लिए हमें विचार करना चाहिए।

मान्यवर, हमारे देश में महिकाओं की मान्यता में कोई कमी मेरे ख्याल से जो आई हैं उसको समाप्त करने के लिए सामाजिक आंदोलन की भी जरूरत है। हमारी बहनें जो हैं , मैं उनसे यह अर्ज करना चाहूंगा कि अगर लड़की आपकी गोद में पैदा होती है तो गांव में सोहर नही गाया जाता और लड़का पैदा होता है तो गांव में सोहर गाया जाता हैं, बड़े धूमधाम से मनाया जाता हैं। लड़की का जन्म दिवस आप नही मानाती है और लड़के का जन्म दिवस हो तो जरूर मनाती हैं। ये कुरीतियां केवल पुरूषों की तरफ़ से ही नही है, माताओं की तरफ़ से हैं, इसलिए भी आपको ध्यान देना चाहिए और इसका भी आंदोलन आपको करना चाहिए। अगर आप सास बनती हैं तो क्या लड़के लिए तिलक नही लेती ? इस पर भी आपको ग़ौर करना चाहिए। पहली बहु घर में आएगी और तिलाक नहीं आया तो आप कहेगीं कि यह कुलटिन है इसके पास कुछ नहीं लेकिन दूसरी बहु जो तिलक, पैसा और सम्पत्ति ले कर आएगी, उसकी इज्जत आप ज्यादा करेंगी। जो लड़का आपका नौकरी कर रहा हैं , अच्छी जगह पर है , उसकी पत्नी पर आप ज्यादा ध्यान देंगी। जो आपका पुत्र कम पढ़ा-लिखा हैं, घर पर खेती-बाड़ी करता है, उसकी बहु को आप दूसरे दर्जे का मानती है। इसके लिए कौन जिम्मेदारी है। क्या खाली

पुरूष ही जिम्मेदार हैं ? इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं । हम यह अच्छी तरह से जानते है कि गांव में जब लड़का पैदा होता हैं तो बहुत खुशी माताएं भी मनाती हैं, हो सकता हैं, लेकिन इस मनोविज्ञान को आपको समाप्त करना पड़ेगा । हमने दो लाइनें लिखी है उनको आपको सुनाकर हम खत्म करेंगे ।

राम, कृष्ण,करीम की माता । भगवान गॉड, रहीम की माता।।

ब्रह्मा, विष्णु, महेश की माता । जीव-जन्तु,सर्वेष की माता।।

तू है माता पूज्य हमारी । चलती दुनिया तुम से सारी ।।

तू है पुत्री, तू है बहना । तू सहधर्मी जीवन गहना ।।

माता रूप तुम्हारा न्यारा । तेरा पूजन सब से न्यारा ।।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि महिलाओं का सम्मान पहले हो क्योंकि जिस घर में महिलाओं का सम्मान होगा, वह घर संपन्न होगा, अगर सारा घर संपन्न है तो गांव संपन्न होगा और गांव संपन्न है तो जिला, प्रदेश और देश संपन्न होगा । यह खुशी की बात है कि हमारे देश की महिलाएं यहां भी नेतृत्व कर रही है । आज इस उच्च सदन में बैठी है । इसलिए हम इन्हें किसी तरह से पीछे न समझें और मेरी विचार से वे कहीं भी पीछे नही है । इनके सम्मान के साथ सारे देश का सम्मान जुड़ा है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डा0 प्रभा ठाकुर (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय,एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा चल रही है । सदन की माननीय सदस्या श्रीमति सरला माहेश्वरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदन के अनेक माननीया सदस्यों ने प्रस्ताव के समर्थन में अपने बहुमूल्य सुझाव और विचार व्यक्त किए हैं ।

महोदय, यह विषय हालांकि महिलाओं से जुड़ा हुआ हैं, महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण से जुड़ा हैं , लेकिन यह चिंता केवल महिलाओं तक सीमित नही हैं । यह विषय कोई पुरूष वर्सस महिला नही हैं । जिस तरह समाज के अन्य कमजोर तबकों की बात आती है तो पूरा समाज उन की चिंता करता हैं, यह भी उसी तरह का एक विषय है और यह संभव भी नही है कि समाज में सिर्फ़ महिलाओं के चाहने से कुछ हो या पुरूषो के चाहने से कोई क्रांति या विकास हो क्योंकि पुरूष और स्त्री दोनों ही बराबरी से समाज के पहिए हैं जिस पर पूरी प्रकृति आधारित है जिससे प्रकृ त की ग़ाड़ी चलती है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और अगर दोनों में से एक की भी स्थिति कमजोर बनती है तो समाज का ढ़ांचा कमजोर बनता है, समाज पिछड़ता है । इसलिए यह विधेयक भले ही स्त्रियों से संबंधित हो, लेकिन यह पूरे समाज की चिंता का विषय है ।

महोदय, ऐसा भी नही है कि इस विषय में आज ही चर्चा हो रही हो, पहले भी अनेक बार इस सदन में इस विषय पर चर्चा होती रही है । अंतर्राष्ट्रीय फ़ोरम्स पर, यूनाइटेड नेशंस में चिंता और चर्चा होती रही है । अनेक अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठनों के सेमिनार आयोजित होते रहे है । विभिन्न राज्य सरकारों के महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग में महिलाओं के शोषण और उत्पीड़न को लेकर, उन के उत्थान और विकास को लेकर चिंता और चर्चा होती रही है ।

महोदय, यह इस देश की सांस्कृतिक विरासत रही है कि स्त्री और पुरूष को एक अर्ध-नारीश्वर की परिकल्पना के माध्यम से देख गया है। हमारे यहां किसी को, किसी से कम नहीं आंका गया हैं। यह भारतीय संस्कृति का मूल है अर्थ नारीश्वर की परिकल्पना हो इस बात का संकेत है कि पुरूष और स्त्री दोनों ही प्रकृति में बराबर के हिस्सेदार है, कोई किसी से अधिक नही है और न कोई कम है। इसीलिए पुराने समय में स्त्री को अनेक अलंकारों से विभूषित किया गया है। उसे मातृशक्ति के रूप में शक्ति के रूप में, देवी के रूप में विभूषित किया गया है और कहा गया है कि, 'यत्र नारी पूज्यंते, रमंते तत्र देवताः। 'यह इस देश की सांस्कृतिक विरासत रही है, लेकिन कालांतर में समाज में कुछ कुरितियां कुछ कारणों से पैदा हुई और ऐसी स्थितियां बनी कि गुप्त जी जैसे कवि को कहना पड़ा कि, 'अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी,आंचल में है दूध और आंखो में पानी। 'यह स्त्री की एक चिंताजनक स्थिति बनी। ऐसा नही है कि स्त्री का शोषण या उत्पीड़न सिर्फ़ हमारे देश तक सीमित हो, ऐसी स्थिति विश्व के अनेक देशों में है। यह स्थिति दूर होनी चाहिए क्योंकि स्त्री जिसे शक्ति कहा जाता है, मातृ शक्ति कहा जाता है, जब तक वह पूर्णतया शक्ति के रूप में अपने काम को अंजाम नही दे पाएगी, जब तक पूर्ण क्षमतावान नही हो पाएगी तब तक हमारा यह समाज पूर्ण रूप से विकसित नही हो सकता, शक्तिशाली नही हो सकता।

महोदय, मुझे एक शेर याद आ रहा है जो पाकिस्तान की एक बहुत ही प्रसिध्द शायिरा का है –

मैं हां कहूंगी मगर फ़िर भी हार जाऊगी।
और, वह झूठ बोलेगा मगर लाजवाब कर देगा।

महोदय, कभी-कभी ऐसी स्थितियों से भी गुजरना होता है। मैं महसूस करती हूं कि समाज में कुछ ऐसी स्थितियां भी बनी कि स्त्री को आर्थिक आधार पर कमजोर आंका गया। स्त्री शारीरिक रूप से कमजोर है, मगर आत्मिक रूप से पुरूष से अधिक संकल्पशील है क्योंकि उसमें अधिक सहनशक्ति होती है। पुरूष शारीरिक रूप से अधिक ताकतवर है, पुरूष अर्थोपार्जन करने में अधिक सक्षम है, लेकिन स्त्री घर को, परिवार को संभालने में अधिक सक्षम है। यह प्रकृति की एक देन है। आज हम सब के घरों में, परिवारों में सभी यह चाहते हैं कि बच्चियां आगे बढ़े, इसलिए उनको हम पढ़ा रहे हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे वह उधोग हो, विज्ञान हो, कला हो, साहित्य हो, पत्रकारिता हो, राजनीति हो, वकालत हो, डाक्टरी हो, जहां भी उसे अवसर मिलता है उसमें अपनी क्षमताओं को सिध्द करती हैं। इस निरंतर चिंतन और विचार की प्रक्रियाओं से आज यह स्थिति आई है कि महिलाओं की सोच में भी बहुत फ़र्क आया है। अगर आज महिलाएं शोषित और उत्पीड़ित है तो मैं मानती हूं कि उसकी जिम्मेदार न केवल सरकार हैं, न केवल पुरूष है बल्कि समाज में महिलाएं भी उतनी ही जिम्मेदार है। हम देखते है कि आज मे शिक्षित समाज में कन्याओं की भ्रूण हत्या के लिए बहुत जगहों पर हमारी शिक्षित महिलाएं जिम्मेदार होती हैं, यह समाज जिम्मेदार होता हैं क्योंकि यह एक सामाजिक मान्यता बन गई हैं और महिलाएं यह महसूस करती है कि अगर वह पुत्र को जन्म नही दे सकेंग़ी तो समाज में कही उपेक्षित रहेंगी, समाज में असुरक्षित रहेंगी या उसका प्रभाव समाज में कम हो जाएगा। महिला को यह एक संस्कारगत सोच मिली हुई हैं। आज के शिक्षित समाज में यह तो जागृति आ गई हैं कि दो से अधिक संतान नही चाहिए, लेकिन यह सोच बाकी हैं कि पुरूष संतान जरूर

चाहिए । जब तक शिक्षित महिलाओं के नजरिए में, सोच में बदलाव नही आएगा कि उसकी दृष्टि में बालक और बालिका एक जैसे हैं, तब तक खाली सरकार के कहने से इस पूरे ढ़ांचे में सुधार और बदलाव नहीं आ सकता । महात्मा गांधी जी ने एक जगह कहा है कि एक पुरूष जब शिक्षित होती हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब एक स्त्री शिक्षित होती हैं तो एक पूरा परिवार, एक पूरा समाज शिक्षित होता हैं ।

महोदय, मेरे पास यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग की 2001-2002 की रिपोर्ट हैं, इसमें से एक छोटा सा अंश मैं उध्दत करना चाहूंगी । इसमें महिलाओं के घरेलू उत्पीड़न के मामले में लिखा है कि आई.पी.सी. की धारा 498(ए) के अधिन पंजीकृत महिलाओं के विरूध्द रिपोर्ट किए गए सभी अपराधो के 36 प्रतिशत मामलों में पति, उसके रिश्तेदारों द्वारा निर्दयता और यातना शामिल है । जिसके बाद आता है छेड़छाड़ का, जो 26 प्रतिशत तथा अपहरण 14 प्रतिशत मामलों का उल्लेख है । वर्ष 1998 से 1999 में अपराध का पैटर्न दहेज मृत्यु तथा महिलाओं और लड़कियों के अपहरण के मामलों में थोड़ी गिरावट दिखाता हैं, परन्तु यौन-उत्पीड़न तथा घर में निर्दयता के मामलों में तीव्र वृध्दि दर्शाता हैं ।

महोदय, जब आज शिक्षा का विकास हो रहा हैं और हम विकास की बातें कर रहे हैं तब उस सदी में अपराधों में ह्रास के बजाय स्त्रियों के शोषण और उत्पीड़न में इस तरह की वृध्दि हो, यह पूरे समाज के लिए एक शर्म का विषय हैं, यह एक सुसंस्कृत, शिक्षित और सभ्य समाज के लिए एक कलंक की बात हैं एसी स्थितियों से महिलाओं को उभारने के लिए कुछ व्यवहारिक और ठोस कदम उठाए जाने आवश्यक हैं, कुछ सरकार द्वारा, कुछ समाज द्वारा ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यहां एक जिक्र यह करना चाहूंगी कि ग्रामीण स्तर पर जब से महिलाओं को पंचायतों और नगर परिषदों में आरक्षण दिया गया हैं तब से बहुत क्रांतिकारी बदलाय आया है । इससे सोच में यह परिवर्तन आया है कि गांव में जो औरतें घूंघट में रहा करती थी और शुरू में जिनका मज़ाक बनाया जाता था कि यह तो सरपंच पति की और सरपंच प्रधान की पत्नी हैं, कुछ ही महीनों में उन महिलाओं के व्यवहार और कार्यकलाप में भारी बदलाव आया क्योंकि कोई भी पेट से या जन्म से सीखकर नही आता । इसलिए जब उन स्त्रियों पर भार पड़ा, उन्होंने काम करना सीखा तो ये घूंघट से बाहर आई । उन्होंने अपनी क्षमता और शक्ति को पहचाना और उसे प्रमाणित भी किया और उनकी सोच में ग्रामीण स्तर तक यह बदलाव आया और उन्होंने महसूस भी किया कि वाकई समाज में लड़की का शिक्षित होना कितना आवश्यक हैं । जब तक एक महिला की दृष्टि में यह बदलाव नही आएगा कि वह लड़के के समान ही लड़की को आगे बढ़ने के समान अवसर दे, समाज में परिवर्तन नही हो पाएगा लड़के में चाहे प्रतिभा हो या न हो, मां-बाप को हमेशा चिंता रहती हैं कि इसे इंजीनियर बनाना हैं, इसे डाक्टर बनाना है जबकि लड़की के लिए शुरू से ही यह मानसिकता रहती है कि यह तो पराया धन हैं, इसे दूसरी जगह जाना है और यही विरासत में चलता चला आ रहा था । लेकिन अब ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की दृष्टि में एक बदलाव आया है और इसने एक नई सोच को जन्म दिया हैं । आज गांव में महिलाएं भी सोचने लगी है कि हम भी इस पद पर बैठ सकती है, हम भी सरपंच बन सकती है, हम भी राज कर सकती है, हम भी कुछ बोल सकती हैं ।

यहां मैं यह भी कहना चाहूंगी कि पिछले कई सत्रों से महिला विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया लोक सभा में लम्बित है, इस विधेयक को भी जल्दी से जल्दी पारित होना ही ।

चाहिए क्योंकि महिलाओं को जितनी अधिक मजबूती मिलेगी, जितनी अधिक संख्या में वे संसद में विधान सभाओं में या ऐसे स्थानों पर जाएंगी, उतनी ही वे महिला हितों और हकों के लिए आवाज़ उठा सकेंगी और उतनी ही वे सक्षम और समर्थ हो सकेंगी।

मैं कहना चाहती हूं कि महिलाओं की समाज में और अधिक मजबूती के लिए सबसे पहली कुंजी है शिक्षा। हम देख रहे है कि आज समाज में काफ़ी बदलावा आया है, शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें पर्याप्त अवसर मिलने लगे हैं, वे शिक्षित होने लगी हैं और महिलाएं उस क्षेत्र में क्षमता से काम कर रही है। शिक्षा के द्वारा ही आर्थिक आत्मनिर्भरता आती है। आज सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से और आर्थिक रूप से चूंकि महिला आश्रित है इसलिए उसकी शोषण और उत्पीड़न की स्थिति हैम। तो शिक्षा ही एक सबसे बड़ा समाधान है जिससे उसको आत्मसम्मान मिल सकता है, आर्थिक आत्मनिर्भरता मिल सकती है, वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है और आर्थिक आत्मनिर्भरता से ही उसकी स्थिति समाज में मजबूत हो सकती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक तो यह पक्ष है और दूसरा कानूनी पक्ष भी है। कई बार तलाक की स्थिति में हम देखते है कि बहुत मामूली सी रकम एक तलाकशुदा स्त्री को उसके भरण-पोषण के लिए दी जाती है जिससे बात नहीं बनती है। समाज में अगर स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया तो उसको अर्धांगिनी का दर्जा तभी मिलेगा जब वह वस्तुतः कानूनी रूप से पति की सम्पत्ति में पूरी आधी हिस्सेदार बने। अगर कानूनी रूप से पत्नी को पति की सम्पत्ति का आधा उत्तराधिकारी माना जाए, उसको बराबर का हिस्सेदार माना जाए तो उसकी स्थिति अपने आप समाज में, परिवार में, अपने घर में मजबूत बन जाएगी। स्त्री कहां जाएगी अपना घर-परिवार छोड़कर ? कोई स्त्री अपनी गृहस्थी, अपना घर-परिवार, अपने बच्चों और सामाजिक मान-सम्मान को छोड़कर कहीं नही जाना चाहती है, इसलिए अगर कानूनी रूप से उसकी स्थिति अच्छी बनेगी तो कोई पुरूष या ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति उसकी प्रताड़ना नहीं कर सकेगा, बल्कि ऐसी स्थिति होने पर यदि वृध्दवस्था में वह अकेली भी रह जाएगी तो संतान द्वारा भी उसे उपेक्षा का शिकार नही होना पड़ेगा क्योंकि वह सक्षम होगी।...(**समय की घंटी**)...

अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मैंने शायद काफ़ी समय ले लिया है कि दहेज आदि के मामलों में या विधवा होने पर या परित्यक्ता की स्थिति में, जहां महिला क्रूरता और प्रताड़ना का शिकार होती है, ऐसी क्रूरता या प्रताड़ना करने वाले लोगों को, जो स्त्रियों का शोषण और उत्पीड़न करते है, कठोर से कठोर दंड दिया जाए। स्त्री का शोषण करते है। ऐसा होने पर ही समाज में और अधिक बदलाव आएगा और मुख्य रूप से बदलाव तभी आएगा जब स्त्री शिक्षा की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से आत्म-निर्भर होगी, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन्यवाद।

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, आज जब हम घरेलू हिंसा से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार कर रहे है तो मुझे पुरानी पीढ़ी का नेतृत्व करती हूं माननीय महादेवी वर्मा की वह पंक्तियां याद आती है जिसमें नारित्व को अभिशाप बताते हुए कहा कि

'चाहे हिन्दु नारी की गौरव गाथा से आकाश गूंज रहा हो, चाहे उसके पतन से पाताल कांप उठा हो परन्तु उसके लिए तो 'सावन हरे न भादों सूखे' की कहावत चरितार्थ होती रही है। उसे अपने हिमालय को लजा देने वाले उत्कर्ष तथा समुद्र तल की गहराई से स्पध्दा करने वाले

अपकर्ष दोनों का इतिहास अपने आंसुओं से ही लिखना पड़ता है और संभव है कि भविष्य में भी लिखना पड़े। शिक्षा के अभाव में और परिस्थितियों की विषमता के कारण स्त्रियां प्रगति को नही अपना सकी। सिमोन दि बोउवा की एक उक्ति बड़ी बहुआयामी और सार्वभौमिक है कि स्त्री पैदा नहीं होगी बल्कि बना दी जाती है।'

जब उन्होंने यह बातें लिखी थी तो उस समय उम्मीद थी कि जब नई पीढ़ी आएगी तो स्त्रियों का इतिहास बदल जाएगा। लेकिन ऐसा नही हुआ। आज भी घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं अपने परिवार का इतिहास आंसुओं से ही लिखती हैं। तो महोदय, मैं सरला जी को बधाई देना चाहती हूं कि जो घरेलू हिंसा के संगीन अपराध पर रोक लगाने के संबंध में यह विधेयक लाईं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 2002 को एक सरकारी विधेयक पेश किया गया – घरेलू हिंसा संरक्षण विधेयक। यह लोक सभा में पेश हुआ और इस भूमिका के साथ कि यह राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला संगठनों में प्रारूपों पर आधारित है। लेकिन महोदय, जब इस बिल का हम लोगों ने गहराई से अध्ययन किया तो हमारा माथा ठनका कि यह बिल तो महिलाओं के घरेलू हिंसा को एक प्रकार से वैधता देने वाला बिल आ गया है और हम लोग तो इसके नाम से आकर्षित हो गए है। अतः इसके किसी बहकावे में नही आएं। इसी से प्रेरित होकर सरला जी को तमाम महिला संगठनों ने एक प्रारूप दिया, इनको अपने सुझाव दिए और उसी पर आधारित यह बिल आया है ताकि आज जो सरकारी विधेयक स्टेंडिंग कमेटी में विचाराधीन है उस बिल में सुधार लाया जा सके। घरेलू हिंसा संरक्षण विधेयक 2001 की जो बातें हैं उसमें कहा गया है कि 'पति यदि आदतन पिटाई करता है या अपने आचरण और क्रूरता से पत्नी का जीवन नारकीय बनाता हो, पत्नी को अनैतिक आचरण करने को बाध्य करता हो, यदि पति अपना बचाव या अपनी या दूसरे की प्रोपर्टी की हिफ़ाजत के लिए हिंसा का सहारा लेता है तो उसे हिंसा नही माना जाएगा।' हम रोज मार खाएं या एक दिन बहुत कसकर मार खाएं, वह हिंसा तो है ही। तो इसमें एक प्रकार से उस हिंसा करने वाले को वैधता दे दी गई कि तुम जब चाहे मारो। अब पति तो इतनी चालाक चीज़ होता है कि वह कोई भी बहाना बता सकता है कि प्रोपर्टी की रक्षा के लिए हमने इसको मारा या अपने बचाव के लिए उसको मारा और पत्नी उसी तरह से घरेलू हिंसा को सहती रहती है। इस तरह वे इसको अपनी तरफ़ से परिभाषित कर सकते है। हिंसा को आदतन हेबच्युल कहके उसको वैधता प्रदान की गई। यह बहुत खतरनाक संकेत है। इसीलिए सरला जी जो इस समय विधेयक लाई है वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री संघ प्रिय गौतम : सरोज जी, एक बात। करवा चौथ होती है लेकिन धर्मा पंचमी क्यों नही होती। करवा चौथ को पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है आ श्रंगार करती है। आप अपनी सामाजिक व्यवस्था में एक दिन एसा क्यों नहीं करती हैं कि पति भी अपनी पत्नियों के चरण छुए और उसके लिए प्रार्थना करे। इसे आप क्यों नही स्वीकारती है ...(**व्यवधान**)...

श्रीमति सरोज दुबे : यह व्रत किसने बनाए है ? यह व्रत तो आपने ही बनाए है। गणेश चतुर्थी बेटे के लिए, करवा चौथ पति के लिए और संकट चौथ का व्रत बेटे के लिए होता है। बेटी के नाम पर तो कोई व्रत ही नही है। आप भी करवा चौथ रखिए, निर्जल व्रत रहिए। तीज करिए। तीज पर महिलाएं तीन-तीन दिन तक प्यासी रहती है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : चलिए बोलिए।

श्रीमती सरोज दुबे : इसीलिए कहा गया है कि हमारे समाज में रूढ़ियों ने कहीं-कहीं परम्पराओं का और कहीं-कहीं धार्मिक रूप ले लिया है । जब इसने धार्मिक रूप ले लिया तो इसने हमें बंदिनी बना डाला और हम बंदिनी होकर उस पति-परमेश्वर की, अत्याचार करने वाले पुरूष की पूजा करते रहते हैं । हमारा समाज उतना जागृत नहीं हुआ हैं, क्योंकि सारे बंधन, सारी परम्पराएं सब कुछ पुरूष प्रधान समाज को बनाया हुआ है । नेशनल क्राइम ब्यूरो की 1998 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ़ 2200 हिंसा की घटनाएं घटीं और 2001 के पहले तीन महीने में घरेलू हिंसा के 137 मामले आये । ये 137 केवल इसलिए आये क्योंकि ये महिलाएं साहस जुटा पाईं अपने परिवार वालों के खिलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कराने का । जिन्होंने भी बोलने की हिम्मत करी, उन्हें कुलटा, कलंकनी, घर तोड़ने वाली न जाने कितने विशेषणों से सम्बोधित किया गया और उनको प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया गया । समाज और घर वाले भी पति के साथ हो जाते हैं, वे किसी महिला का साथ नहीं देते हैं । इसका नतीजा यह होता है कि महिला अकेली हो जाती है महिला को को और उसके बच्चों को मारपीट कर घर से निकाल दिया जाता है । इसमें यह नही बताया गया है कि जिस महिला को घर से मारपीट कर निकाल दिया गया है, उसको कहां पर संरक्षण मिलेगा । उसके बच्चों को कहां रखा जायेगा । उनका खर्चा कौन देगा । एक प्रोटेक्शन आफ़ीसर भी बना दिया गया है जो कि पीड़ित महिला को समझायेगा, वह तो पहले से ही दुराग्रह से ग्रसित होता है । वह पत्नी पर प्रभाव डालकर अपनी शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डालेगा, उसको शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर करेगा । इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि यह जो विधेयक आया है यह महिलाओं को हिंसा से ज्यादा बचा नही पायेगा । यह उन्हें घरेलू हिंसा से कोई ज्यादा राहत देने वाला नही है । हमारी बहन रीता जी हमेशा महिलाओं की लड़ाई लड़ती रही है, वे यहां पर बैठी हैं, मुझे उम्मीद है कि वे इस बारीकी को समझते हुए, वे अभी मुस्करा रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वे एचआरडी मिनिस्टर से झगड़ा करके जरूर सुधार करवायेंगी ताकि महिलाओं को राहत मिल सके । ...(**व्यवधान**)... तमाम महिला संगठन है, वे काम करेंगे । महिलाओं के लिए घर से ज्यादा महफ़ूज़ और कोई जगह नही मानी जाती है । कहते है कि घर में चले जाओ वहां पर महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन आज वही घर करोड़ो महिलाओं के लिए आतंक का डेरा बना हुआ है । न वह मायके में सुरक्षित हैं और न वह ससुराल में सुरक्षित है । महिलाओं को अजनबियों से खतरा होता है, लेकिन उससे ज्यादा खतरा नजदीकी रिश्तेदार, दोस्त और मित्रों से होता है । जब अजनबियों से कोई हमला हमारे ऊपर होता है तो हम पुलिस रिपोर्ट उनकी कर सकते है, लेकिन जब घर के रिश्तेदार, नातेदार उत्पीड़न करते हैं, तो उसकी शिकायत करने का साहस कोई महिला नही कर पाती है । इसीलिए घर में मारपीट का, घरेलू हिंसा का जो रूप है उसको सार्वभौमिक रूप मिल गया है । यह केवल हमारे यहां नही है, यह उत्पीड़न पूरे विश्व में चल रहा है, चाहे हिन्दुस्तान हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, हर जगह महिला उत्पीड़न की दास्तान एक सी चल रही है । एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर वर्ग की महिलाओं को हिंसा का शिकार होना पड़ता है । 'अपना घर' की कल्पना बहुत खूबसूरत है । जब हम कहते है कि यह हमारा घर है, अपना घर है, उस घर की कल्पना होती है, सुंदर-सुंदर कल्पनाएं होती है, प्यार और वात्सल्य से भरा हुआ घर, एक सजा-सजाया घर, लेकिन उस घर के बंद दरवाजे के पीछे उस महिला की चीख कोई नही सुन पाता है क्योंकि वह अपने पति-परमेश्वर की मार को भी वह समझती है कि गलती मेरी ही है । अगर पति दफ़्तर में डांट खाकर आता है तो उसका गुस्सा पत्नी पर उतरता है अगर पत्ति जए में हार जाए तो पत्नी मार खाती है अगर लाटरी में हार

जाए तो पत्नी मार खाती है। वह पांच सौ रूपया तनख्वाह पायेगा और लाटरी में हजार रूपये हार जायेगा तो इसका गुस्सा भी वह पत्नी पर निकालता है। अगर घर में मेहमान आ जाता है और कोई गड़बड़ हो जाती है तो पत्नी मार खायेगी। सारा दोष पत्नी पर ही डाल दिया जाता है। एक कहावत है, 'धोबी से जीते नही, तो गधे के कान खींचे।' घर में आये और पत्नी को धुन दिया और पत्नी भी बेचारी मार खाने को विवश है। एक सर्वे में आया है कि 56 प्रतिशत महिलाएं अपनी गलती मानती हैं, घरेलू हिंसा में वे अपनी गलती मानती हैं। वे सोचती हैं कि हमने गलती करी है इसलिए पति ने हमको मारा है। सारा कसूर पत्नी का मानकर उसको बेरहमी से मारा जाता है। जब पति पत्नी को मारता है तो उससे केवल पत्नी ही प्रभावित नही होती है, उसके बच्चे भी प्रभावित होते है क्योंकि बच्चे बीच में बचाने आते हैं या जब उस क्रूर व्यवहार को देखते है तो उनके कोमल दिमाग पर उसका असर पड़ता है और परिणामस्वरूप अगली पीढ़ी भी बर्बाद होती है, वह भी हिंसक हो जाते है, वह भी हठी हो जाते है। इसलिए इसके बड़े दूरगामी असर होते हैं। महोदय, हमारा पारम्परिक रक्षक कौन माना जाता है। पति हो या चाचा, मामा, भाई, पिता लेकिन आजकल हम अखबारों में देखते हैं कि रिश्तों की पवित्रता का कोई मायना नही रह गया है। कहीं पिता ने पुत्री को घरेलू हिंसा का शिकार बना डाला तो कहीं बहुत नजदीक के रिश्तेदार ने महिला से दुर्व्यवहार कर दिया। महोदय, हमारे सामने मीडिया जो हिंसा व सेक्स परोस रहा है, उसका नतीजा यह हो रहा है कि रिश्तों की पवित्रता एकदम खत्म हो गयी है। पिता के खिलाफ़ कोई बेटी कम्पलेंट नही लिखा सकती, चाचा के खिलाफ़ कोई बेटी कम्पलेंट नही लिखा सकती। गलती करते हैं वह लोग और वह बेचारी शर्म के मारे पीड़ा को झेलती रहती है और उसका फ़ायदा उठाकर पुरूष और क्रूर होता चला जाता है और अत्याचार करता रहता है। महिला जब ससुराल में आती है तो वहां पति मारता है। मां – बाप द्वारा लड़की को समझा दिया जाता है कि देखो, तुम्हारी डोली यहां से जा रही है, अब उस घर से तुम्हारी अर्थी ही बाहर निकले। इस तरह की बातें उसे समझाई जाती हैं। महोदय, हमारे महान कवि तुलसीदास जी ने भी कह दिया कि

ढ़ोर, गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी ।

जब हम लोग यहां पर डोमैस्टिक वॉयलेंस पर विचार कर रहे थे तो दुबई के कोर्ट ने एक आदेश किया था कि पत्नी को अनुशासन में रखने के लिए उसको पीटने का पूरा अधिकार है, बशर्ते चोट ज्यादा गहरी न हो। यह दुबई का मत है कि महिलाओं को मारोगे तभी वह अनुशासित रहेंगी – यह कोर्ट कह रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि

ढ़ोर, गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी।

अभी गौतम जी कह रहे थे कि कबीरदास जी ने महिलाओं के सुधारों की बड़ी बातें की हैं तो मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि कबीरदास जी ने लिखा था कि

नारी की झाई परत,
अंधा होत भुजंग,
कबिरा तिनको कौन गति,
जो नित नारी संग।

अब बताइए, हम काले सांप से भी ज्यादा खतरनाक हो गये हैं। आप प्रशंसा गाते चले जा रहे हैं। एक तरफ़ तो लिखते हैं कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमंते तत्र देवता।' और दूसरी तरफ़ लिखते हैं कि 'नारी नरकस्य द्वारं।' इसका क्या मतलब है ? इतनी विसंगतियां भर दी गयी हैं। एक तरफ़ देवी और दुर्गा बनाकर आसन पर बिठा दिया। लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, दुर्गा...

(**समय की घंटी**) महोदय, अभी तो मैने शुरू किया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): अभी शुरू किया है।

श्रीमती सरोज दुबे : अभी तो बीच में भटक गये थे। महोदय, एक तरफ़ तो देवी बनाकर उसे आसन पर बिठा दिया जाता हैं और दूसरी तरफ़ उसे ढ़ोल-बाजे के साथ घर में ले आते हैं। महोदय, यह हिन्दुस्तान में ही परम्परा हैं कि लड़की को ब्याहकर घर में लाएंगे, दहेज भी लाएंगे और लड़की ने जैसे ही दहरी पार करी, दहेज की कमी का ताना देंगे और उसके बाद लड़के पक्ष वालों का तो लड़की के घर में एक रिकरिंग अकाउंट खुल जाता है कि जब जैसी जरूरत पड़ी, तब लड़की को मायके भेजकर उससे पैसा मंगा लेते है। लड़की चाहे जितना दहेज ले आए, उसको ताना देंगे, उसको मारेंगे, उसको खाने को नहीं देंगे, उसके मां-बाप को गाली देंगे। ये सारी बातें हो रही है। हमारे समाज में नारी की स्थिति यह है कि अगर वह गरीब घर में जाती है तो वह दासी बनकर ही जाती है और जितना चाहे, उस पर अत्याचार करो। अगर बड़े घराने में जाती है तो गुलदस्ते की तरह बनकर जाती हैं। सजा-धजाकर गुलदस्ते की तरह रख दी जाती है। बड़े घरानों के घर लड़के दारू पीकर आते है तब उसे मारते हैं और दूसरी तरफ़ श्रमिक आता है, तब उसे मारता है। इस तरह से उसकी बड़ी दूर्दशा है और उसकी कोई सुनने वाला नही है, कोई उसका साथ देने वाला नही है क्योंकि अगर वह थाने में भी अपनी शिकायत लेकर जाती है तो पुलिस कहती हैं कि आपका मिंया-बीबी का मामला है, आपस में निपट लो। पड़ोसी अगर संवेदना रखते हैं, तब भी वे बीच में नहीं आते कि यह मिंया-बीबी का मामला है, कौन बोले। इस तरह से महिलाओं को चारों तरफ़ से घेर लिया गया है और उसको कहा जाता है कि पति का साथ हर हाल में निभाना। अगर वह लड़की लौटकर अपने मां-बाप के घर चली जाती है तो मां-बाप उसे रखने को तैयार नही होते हैं और स्थिति यह होती है कि घर में खाना बनाए महिला, अन्नपूर्णा कहलाती है। पहले खाना सास-ससुर को, पति को, देवर को, जेठ को और बेटे को देती है। फ़िर जो थोड़ा बहुत बचता है, वह बेटी को देती है और उसके बाद जो कड़ाही में थोड़ी बहुत सब्जी बच जाए या चोकर की रोटी बच जाए, उसको कड़ाही पोंछकर महिला खा लेती है। महोदय, यह हमारी लड़ाई कड़ाही

5.00 P.M.

से शुरू होती है। (**समय की घंटी**) हमें कड़ाही से पोंछकर रोटी खाने की परम्परा है, वहां से इस लड़ाई को शुरू करना होगा तब जाकर कहीं डोमैस्टिक बिल का फ़ायदा हो सकता है। महोदय, अभी मैं थोड़ा और बोलना चाहूंगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) . श्रीमती सरला माहेश्वरी के इस निजी विधेयक पर आगे चर्चा शुक्रवार, 26 जुलाई, 2002 को जारी रहेगी। माननीय श्रीमती सरोज दुबे इस संबंध में आगे अपने विचार उस दिन व्यक्त कर सकती हैं। जिन अन्य माननीय सदस्यों ने बोलने के लिए नाम दिए हैं, उनको भी उस दिन बोलने का अवसर मिलेगा। अब सदन की कार्यवाही सोमवार, 22 जुलाई, 2002 प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at five of the clock, till eleven of the clock on Monday, the 22nd July, 2002.